



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2014/आषाढ़ 19, 1936

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2014/ASHADHA 19, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

फा. सं. 2 (10)-बी (डी)/2014.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2014-2015

वित्त मंत्री अरुण जेटली का भाषण

10 जुलाई, 2014

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

2. भारत के लोगों ने निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए वोट किया है। यह निर्णय लोगों का यथा स्थिति के प्रति गुस्सा दर्शाता है। भारत निस्संकोच रूप से विकास करना चाहता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति स्वयं को गरीबी के शाप से मुक्त कराने के इच्छुक हैं। जिन्हें जटिल चुनौतियों से उभरने का मौका मिल गया, वे आकांक्षायान हो गए हैं। वे, अब, नव मध्य वर्ग का हिस्सा होना चाहते हैं।

उनकी अगली पीढ़ी समाज द्वारा दिए जाने वाले अवसर का फायदा उठाने के लिए उत्सुक है। निर्णय लेने में धीमेपन से उपलब्ध अवसर हाथ से निकल जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में दो वर्ष पांच प्रतिशत से कम हुई वृद्धि से यह चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। हमने विगत दो वर्ष में खाद्य स्फीति में दो अंकीय वृद्धि दरों वाले दिनों की तुलना में, मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत निम्न स्तरों की प्रतीक्षा की है। यह राष्ट्र बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, अवसंरचना के आभाव और उदासीन अभिशासन झेलने के कतई मूड में नहीं है।

3. भारत की अर्थव्यवस्था में आयी गिरावट मुख्यतया अनेक अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्ति प्रतिबिंबित करती है। वर्ष 2008-09 के संकट के परिणाम के विपरीत, जब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की बहाली मुख्य चिंता थी, अनेक उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान में दिखायी दे रही निरंतर गिरावट ने सतत वैश्विक सुधार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सौभाग्य से, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे लक्षण दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2012 और 2013 में देखी गए संकुचन के पश्चात, यूरो क्षेत्र के धनात्मक वृद्धि अंकित करने की संभावना के चलते 2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जबकि 2013 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, अपरंपरागत मौद्रिक नीतिगत स्थिति और वैश्विक वित्तीय दशाओं हेतु अनुवर्ती विविक्षा के चलते अमरीकी अर्थव्यवस्था का निष्पादन आगामी वर्षों में वैश्विक समुत्थान के भाग्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिनसे जुझते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी कोई युक्ति निकालनी होगी।

4. वित्त मंत्री होने के नाते, मैं ऐसी नीतिगत व्यवस्था प्रारंभ करने के प्रति कर्तव्यबद्ध हूँ जो उच्च विकास, निम्न मुद्रास्फीति, वैश्विक क्षेत्र के संतुलन का सतत स्तर और विवेकपूर्ण नीतिगत स्थिति के वांछित वृहत् आर्थिक परिणाम दे सके। यह बजट इस बारे में सर्वाधिक विशद कार्य योजना है। इस एनडीए सरकार का पहला बजट, मैं इस महान सदन के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें मेरा लक्ष्य उस दिशा में व्यापक नीतिगत संकेतक निर्धारित करना है जिस दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। जो उपाय मैं इस बजट में घोषित करूँगा वे मुद्रास्फीति के निम्न स्तर, निम्न राजकोषीय घाटे और नियंत्रणीय चालू खाता घाटे सहित वृहद आर्थिक स्थायित्व के साथ-साथ अगले 3-4 वर्षों के भीतर 7-8 प्रतिशत की सतत वृद्धि बनाए रखने की तरफ चलने की शुरुआत भर हैं। अतएव यह आशा करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि इस सरकार के बनने के पैंतालिस दिनों के भीतर प्रस्तुत प्रथम बजट में सब कुछ किया जा सकता है या सब कुछ होना ही चाहिए।

5. जब उच्च वृद्धि अनिवार्य है, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि इस देश की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। यह गरीब ही है जो सबसे ज्यादा कष्ट झेलता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गरीबी-रोधी कार्यक्रम अच्छी तरह लक्षित हों। लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सरकार द्वारा पालन की जा रही विकास कार्य योजना में और "सबका साथ सबका विकास" के इसके अधिदेश में दिखाई देगी। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल सही ढंग से इस चुनौती को स्वीकार किया है। हम जीवंत और मजबूत भारत के सृजन में कोई कोस-कसर नहीं छोड़ेंगे।

6. विद्यमान आर्थिक परिस्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करती है। यह हम सबके द्वारा कोई सचेत विकल्प अपनाने की मांग करती है। क्या हम इस निष्क्रियता को ऐसे ही चलने देंगे और असहाय होकर देखते रहेंगे? क्या हम अपनी दुविधा के चलते अपने भविष्य को ऐसे ही पीड़ित होने देंगे? क्या हम मात्र लोकप्रियता अथवा बेकार व्यय के शिकार होते रहेंगे? मेरे लिए प्रतिक्रिया और उपचार दोनों स्पष्ट हैं। आज मेरे सामने बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि हमें विकास की जरूरतों के लिए समुचित संसाधन जुटाने हेतु, खासकर विनिर्माण और अवसंरचना में, विकास सृजित करने की जरूरत है। दूसरी तरफ, यह कार्य सरल है यदि हम यह सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि हम अपने साधनों से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हमें राजकोषीय विवेक लागू करने की जरूरत है। इससे राजकोषीय सुदृढीकरण और अनुसाशन का मार्ग प्रशस्त होगा। अंतर-पीढ़ीगत साम्यता के महत्व के कारण राजकोषीय विवेक मेरे लिए सर्वोच्च महत्व का है। हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अपने पीछे ऋण की बपौती नहीं छोड़ सकते। हम आज ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते जो बाद की तारीख में कराधान द्वारा वित्तपोषित किया जाए। अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान के लिए अधिक संसाधन सृजित

करने की तत्काल जरूरत है। इसके लिए, कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करना होगा और कर-भिन्न राजस्व बढ़ाना होगा। हमें याद रखना होगा कि 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत से राजकोषीय घाटे में 2012-13 में 4.9 प्रतिशत और 2013-14 में 4.5 प्रतिशत की गिरावट अधिक राजस्व जुटाकर नहीं बल्कि मुख्यतया व्यय में कटौती करके प्राप्त की गई थी। यद्यपि, वैदेशिक क्षेत्र में, 2012-13 में 4.7 प्रतिशत की तुलना में, सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत के चालू खाता घाटे के चलते वर्ष के अंत में स्थिति पलटी देखी गई। यह मुख्यतया अनावश्यक आयात पर प्रतिबंध लगाकर और समग्र मांग में कमी करके, प्राप्त की गई है। आगे चलकर हमें निरंतर चालू खाता घाटे पर नजर रखनी होगी।

7. मेरे पूर्ववर्ती ने चालू वर्ष में राजस्व घाटा कम करके सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत लाने का बड़ा कठिन कार्य निश्चित किया था। यह विचार करते हुए कि निम्न सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के दो वर्ष, लगभग स्थिर औद्योगिक वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में मामूली वृद्धि, भारी सब्सिडी भार और उत्साहहीन कर उत्प्लावकता से राजकोषीय घाटे का 4.1 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना वास्तव में अत्यंत मुश्किल है। यह बिल्कुल मुश्किल प्रतीत होता है परन्तु मैंने इस लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है। कोई व्यक्ति तभी असफल होता है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। राजकोषीय घाटे का मेरा रोड मैप है 2015-16 में राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत और 2016-17 में 3 प्रतिशत पर लाना। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि इराक संकट तेल की कीमतों पर प्रभाव डाल रहा है और मध्यपूर्व में स्थिति निरंतर अस्थिर बनी हुई है। इस वर्ष मानसून ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मुद्रास्फीति जितने स्वीकार्य स्तरों पर होनी चाहिए उससे उच्च स्तरों पर बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक में हाल ही में क्रमिक रूप से नरमी आई है। यह 2012-13 में 7.35% के उच्च स्तर पर थी जो कम होकर 2013-14 में 5.98% पर आ गई है। हम अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं। हमें काले धन की समस्या का भी पूर्ण समाधान निकालना है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है। इन प्रतिकूल स्थितियों का सामना करते हुए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, परन्तु हमें आर्थिक कार्यकलाप बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कठोर उपाय करने होंगे। ये उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की भावना को पुनर्जीवित करने के हमारे प्रयास की शुरुआत भर हैं। वे दिशा-सूचक हैं।

व्यय प्रबंध आयोग

8. हमारी सरकार "न्यूनतम शासन अधिकतम अभिशासन" के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, समय आ गया है कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए, सरकारी व्यय की आवंटनकारी और प्रचालनात्मक दक्षताओं की समीक्षा की जाए। सरकार व्यय प्रबंध आयोग का गठन

करेगी। यह सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। यह आयोग इसी वर्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। मैं, खाद्य और पेट्रोलियम सप्लाइयों सहित सब्सिडी व्यवस्था की समीक्षा करने और उपेक्षित, गरीबों और अनुसूचित जातियों/जनजातियों को पूरी सुरक्षा देते हुए, इसे अधिक लक्ष्यपरक बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। एक नई यूरिया नीति भी बनाई जाएगी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

9. क्या वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए अब बातचीत समाप्त हो जानी चाहिए। हमने विगत कई वर्षों में इस मुद्दे पर चर्चा की है। कुछ राज्य अपने कराधान क्षेत्राधिकार के समर्पण से डरे हुए हैं और अन्य पर्याप्त क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं। मैंने इस विषय में राज्यों से अलग-अलग और सामूहिक रूप से चर्चा की है। मुझे आशा है कि इस वर्ष कोई समाधान ढूँढ लेंगे और विधायी योजना अनुमोदित करेंगे। इससे वस्तु एवं सेवा कर लागू हो सकेगा। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर प्रशासन को सुप्रवाही बनाने, व्यवसाय में परेशानी से बचाने और उच्च राजस्व संग्रहण के परिणाम देगा। मैं सभी राज्यों को आश्वासन देता हूँ कि सरकार उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी।

कर प्रशासन

10. सरकार के पूर्वव्यापी कराधान का उत्तरदायित्व लेने के शासकीय अधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तथापि, इस शक्ति का प्रयोग अर्थव्यवस्था और समग्र निवेश माहौल पर ऐसे प्रत्येक उपाय के प्रभाव को ध्यान में रखकर अत्यंत सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए। यह सरकार सामान्यतया पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं करेगी जो नई देनदारी सृजित करे। माननीय सदस्यों को पता है कि वित्त अधिनियम, 2012 के जरिए आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए कतिपय पूर्वव्यापी संशोधनों के परिणामस्वरूप, कुछेक मामले विभिन्न न्यायालयों में और अन्य विधायी मंचों पर आए हैं। ये मामले विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं और स्वाभाविक रूप से तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। मैं, इस परिस्थिति में इस महान सदन और पूरे निवेशक समुदाय को यह बताना चाहता हूँ कि हम ऐसी स्थायी और भावी कराधान व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध हैं जो निवेशक अनुकूल और विकास प्रेरक होगी। यह ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अब से अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में 2012 के पूर्वव्यापी संशोधनों से उत्पन्न सभी नए मामले मूल्यांकन अधिकारियों के ध्यान में आते हैं तो ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जाएगी। मुझे आशा है कि भारत के भीतर और विदेशों में निवेशक समुदाय हमारी घोषित स्थिति पर विश्वास व्यक्त करेगा और नए जोश से भारत के विकास में भागीदारी करेगा।

अग्रिम नियम और अन्य कर संबंधी उपाय

11. 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर मांग विभिन्न न्यायालयों व अपीलिय अधिकरणों में विचाराधीन है और मुकदमेबाजी चल रही है। यह इस देश में सभी करदाताओं की गंभीर चिंताओं में एक है। प्रत्यक्ष करों में मुकदमेबाजी घटाने के लिए, मैं, कतिपय कानूनी और प्रशासनिक बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ।

12. फिलहाल किसी अनिवासी की कर देनदारी के बारे में अग्रिम नियम अधिकरण से अग्रिम नियम प्राप्त किया जा सकता है यह सुविधा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सिवाय, निवासी कर-दाताओं को उपलब्ध नहीं है। मैं, परिभाषित सीमा से अधिक आयकर देनदारी के संबंध में प्रस्ताव रखता हूँ। जिससे करदाता अग्रिम नियम प्राप्त कर सकेंगे। मैं, अतिरिक्त पीठों की स्थापना करते हुए अग्रिम नियम अधिकरण सुदृढीकरण का प्रस्ताव भी करता हूँ। मैं, आयकर निपटान आयोग का क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव करता हूँ ताकि करदाता विवादों के निपटान हेतु इस आयोग से संपर्क कर सकेंगे। यह किसी भी करदाता के लिए जीवन में एक बार अवसर देना जारी रहेगा।

13. मैं प्रशासनिक उपाय के रूप में व्यापार और उद्योग के साथ नियमित आधार पर पारम्परिक संपर्क करने और कर कानूनों में स्पष्टता की जरूरत वाले लोगों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव करता हूँ। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क व सीमाशुल्क बोर्ड दो महीने की अवधि के भीतर कर मुद्दों पर, जहां आवश्यक समझा जाएगा, समुचित स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

14. अंतरण मूल्य निर्धारण निवासी और अनिवासी दोनों करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी का बड़ा क्षेत्र है। मैंने अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमों में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है जिन्हें मैं, अपने भाषण के भाग-ख में बताऊंगा।

15. मुझे विश्वास है कि ये उपाय कर प्रणाली में कर दाताओं का विश्वास बढ़ाने में दूरगामी सिद्ध होंगे और इन से कर कानूनों में निश्चितता और स्पष्टता आएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

16. एनडीए सरकार की नीति इन क्षेत्रों में चुनिंदा रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना है जहां यह भारतीय अर्थव्यवस्था के वृहद हितों में सहायक होगी। अनेक क्षेत्रों में एफडीआई संसाधन पूरक है जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायक होगी। भारत को आज रोजगार सृजन में बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। विशेषकर हमारे विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन आगे बढ़ाने की जरूरत होगी।

17. भारत आज विश्व में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। हमारी घरेलू विनिर्माण क्षमताएं उदीयमान चरण में हैं। हम अपनी रक्षा जरूरतों का बड़ा हिस्सा सीधे विदेशी प्लेयर्स से खरीदते हैं। फिलहाल हम रक्षा विनिर्माण में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देते हैं। विदेशी मुद्रा की संयुक्त सीमा एफआईपीबी मार्ग से पूर्ण भारतीय संबंध और नियंत्रण के चलते, बढ़ाकर 49 प्रतिशत की जा रही है।

18. बीमा क्षेत्र निवेश के लिए तरस रहा है। बीमा क्षेत्र के अनेक संघटकों को विस्तार की जरूरत है। बीमा क्षेत्र में संयुक्त सीमा एफआईपीबी मार्ग से पूर्ण भारतीय प्रबंध और नियंत्रण के चलते 26 प्रतिशत के चालू स्तर से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

19. स्मार्ट शहरों का विकास, जो नव-मध्यम वर्ग को पर्यावास भी उपलब्ध कराएंगे, प्रोत्साहित करने के लिए निर्माण पूरा होने के बाद तीन वर्ष के लाक-इन के चलते एफडीआई के लिए निर्मित क्षेत्र और पूंजी की शर्तों की अपेक्षा क्रमशः 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 20,000 वर्ग मीटर और 10 मिलियन अमरीकी डालर से घटाकर 5 मिलियन अमरीकी डालर की जा रही है।

20. इसे और प्रोत्साहित करने के लिए वे परियोजनाएं जो निम्न लागत वाले सस्ते मकानों की कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 प्रतिशत की वचनबद्धता देती हैं, तीन वर्ष के लाक-इन की शर्त के चलते, उन्हें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और पूंजीकरण अपेक्षाओं से छूट मिलेगी।

21. आज विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई स्वचालित मार्ग पर है। विनिर्माण इकाइयों को बगैर किसी अतिरिक्त अनुमोदन के ई-कामर्स प्लेटफार्मों सहित खुदरा के जरिए अपने उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाएगी।

बैंक पूंजीकरण

22. वित्तीय स्थिरता तीव्र समुत्थान का आधार है। हमारी बैंकिंग प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बेसल-III मानकों के अनुरूप होने के लिए, हमारे बैंकों में 2018 तक 2,40,000 करोड़ रुपये की इक्विटी के निवेश की आवश्यकता है। इस विशाल पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हमें इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। सरकारी स्वामित्व बनाए रखते हुए इन बैंकों की पूंजी देश के आम नागरिकों को ज्यादातर खुदरा में शेयरों की बिक्री के जरिये जनसाधारण की शेरधारिता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर जुटाई जाएगी। इस प्रकार, सरकार बहुमत शेरधारिता को बनाए रखेगी जबकि भारत के नागरिकों को भी इन बैंकों में अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष शेरधारिता प्राप्त होगी। हम बैंकों को जवाबदेह बनाकर बृहतर स्वायत्तता प्रदान करने के प्रस्ताव की जांच भी करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का पूंजीगत व्यय

23. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देकर अपनी संरचनात्मक भूमिका अदा करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छे निवेश चक्र का सृजन करने के लिए पूंजीगत निवेश के जरिये कुल 2,47,941 करोड़ रुपये की घनराशि का निवेश चालू वित्त वर्ष में करेंगे।

स्मार्ट शहर

24. चूंकि विकास के प्रतिफल निरंतर बढ़ती हुई लोगों की बड़ी संख्या तक पहुँच रहे हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवासन की गति बढ़ रही है। बेहतर जीवन यापन की आकांक्षा के साथ नव मध्यम वर्ग उभर रहा है। अगर जनसाधारण के इस उफ्लाव के लिए नये शहरों का विकास नहीं किया गया तो विद्यमान शहर जल्द ही रहने योग्य नहीं रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का बड़े शहरों के उपनगरों के रूप में "सौ स्मार्ट शहरों" का विकास करने और विद्यमान मध्यम आकार के शहरों का आधुनिकीकरण करने का सपना है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु, मैंने चालू वित्त वर्ष में 7060 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है।

ई-वीजा

25. पर्यटन विश्व भर में वृहद् रोजगार सृजकों में से एक है। विश्व भर में अनेक अर्थव्यवस्थाओं को पर्यटन से सहायता मिली है। भारत में पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए, इलैक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ई-वीजा) की सुविधा आवश्यक अवसंरचना अगले छह माह के भीतर तैयार करके भारत में नौ हवाई-अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इलैक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण सुविधा वाले देश चरणबद्ध तरीके से अभिचिन्हित किए जायेंगे। आगे चलकर इससे आगमन पर वीजा की सुविधा सहज होगी।

स्थावर सम्पदा निवेश न्यास (आरईआईटीएस) और अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटीएस)

26. स्थावर सम्पदा निवेश न्यासों का कई देशों में निवेश पूलिंग के लिए लिखतों के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस वर्ष मैं आरईआईटीएस के लिए आवश्यक प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना चाहता हूँ जो कराधान के प्रयोजन से पारदर्शी होंगे। नवोन्मेष के रूप में, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए संशोधित आरईआईटीएस के तरह की स्थिति पीपीपी और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उसी प्रकार की कर पारदर्शिता संरचना अवसंरचना निवेश न्यासों (आईएनवीआईटीएस) के रूप में भी घोषित की जा रही है। ये संरचनाएं नई इक्विटी उपलब्ध कराते हुए बैंकिंग प्रणाली पर दबाव कम करेंगी। मुझे विश्वास है कि ये दो लिखतें एनआरआई सहित विदेशी और घरेलू स्रोतों से दीर्घावधि वित्त आकर्षित करेंगी।

किसान विकास पत्र

27. किसान विकास पत्र (केवीपी) छोटी बचत-करने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय लिखत थी। इस लिखत में निवेश करने के लिए बैंक-बचतों और गैर-बैंक बचतों वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस लिखत को पुनः शुरू करने की मेरी योजना है।

दक्ष भारत

28. दक्ष भारत नामक राष्ट्रीय बहु-दक्ष कार्यक्रम शुरू करना प्रस्तावित है। यह रोजगार सर्म्थता और उद्यमी कौशलों पर बल देकर युवाओं को दक्ष करेगा, यह झलाईगर, बड़ई, मोची, राजमिस्त्री, लौहार, बुनकर आदि परम्परागत धंधों में लगे लोगों के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए विभिन्न स्कीमों को केन्द्रीत करना भी प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

29. हमारी अधिकतर कृषि भूमि वर्षा पोषित है और मानसून पर निर्भर है। इसलिए, जोखिम कम करने के लिए आश्वासित सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है। सिंचाई पहुँच में सुधार लाने के लिए हम "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। मैं इस प्रयोजन के लिए 1000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वच्छ भारत अभियान

30. स्वच्छता की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि केंद्रीय सरकार अपने अर्थोपायों के भीतर संसाधन उपलब्ध करा रही है, फिर भी सम्पूर्ण स्वच्छता का कार्य बिना सभी की सहायता के पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के जरिये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, वर्ष 2019 तक सम्पूर्ण स्वच्छता से प्रत्येक परिवार को कवर करना चाहती है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन

31. ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण का रूबर्न विकास मॉडल है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नगर-विषयक अवसंरचना और संबद्ध सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात उसका सफल उदाहरण रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास भी शामिल हैं, ग्रामीण इलाकों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए शुरू किया जाएगा। सुपुर्दगी की तरजीही विधि वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्कीम निधियों का प्रयोग करके पीपीपी के माध्यम से होगी।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

32. विद्युत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निविष्ट है और सरकार सभी घरों में 24x7 बाधारहित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फीडर पृथक्करण के लिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" ग्रामीण क्षेत्रों में

विद्युत आपूर्ति की वृद्धि करने और उप-सम्प्रेषण तथा वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए शुरू की जाएगी। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹ 500 करोड़ की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। अंतरण मूल्य-निर्धारण विनियमों के उपबधों से विखंडित विद्युत संयंत्रों को मुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है।

एकता प्रतिमा (स्टेच्यू आफ यूनिटी)

33. गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालतम प्रतिमा के निर्माण का मिशन शुरू किया है। सरदार पटेल देश की एकता के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। एकता प्रतिमा की स्थापना करने की गुजरात सरकार की इस पहल में सहायता करने के लिए, मैं ₹ 200 करोड़ की धनराशि के निर्धारण का प्रस्ताव करता हूँ।

II. आयोजना और बजटीय आबंटन

34. मैं अब बजटीय आबंटनों पर आता हूँ। आबंटनों की घोषणा करते हुए, मैं देश की संघीय संरचना को सुदृढ करने की मेरी सरकार की दृढ प्रतिबद्धता और जनसाधारण के व्यापक हित के लिए राज्य सरकारों के साथ समीपता से कार्य करने के हमारे संकल्प को दोहराना चाहता हूँ।

एससी/एसटी; महिला और बच्चे

35. सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति आयोजना के तहत ₹ 50,548 करोड़ और टीएसपी के अंतर्गत ₹ 32,387 करोड़ प्रस्तावित हैं।

36. अनुसूचित जाति के युवा उद्यमियों को ऋण वर्धन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मैं ₹200 करोड़ की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। जो आईएफसीआई द्वारा स्कीम के जरिये प्रचालनात्मक की जाएगी।

37. ₹ 100 करोड़ के प्रारंभिक आबंटन से जनजातियों के कल्याण के लिए "वन बंधु कल्याण योजना" शुरू की जा रही है।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

38. एनडीए सरकार के अपने पिछले कार्यकाल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम के रूप में वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीआई) शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत कुल 3.16 लाख वार्षिकी-ग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है और निधियां ₹ 6,095 करोड़ बैठती हैं। मैं 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले नागरिकों के हित के लिए 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक की सीमित अवधि हेतु स्कीम को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

39. सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), डाकघर बचत योजनाओं आदि में दावारहित धनराशियों के रूप में एक बड़ी धनराशि होने का अनुमान है। ये अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित निवेशों में से हैं और उनकी मृत्यु पर संबंधित संदाय अनुदेशों के अभाव में दावारहित रहती हैं। कैसे इस धनराशि का प्रयोग वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करने और उनके वित्तीय हितों के लिए किया जा सकता है, इसकी जांच करने और संसतुति देने के लिए समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। समिति अपनी रिपोर्ट इस वर्ष दिसंबर तक प्रस्तुत करेगी।

40. सरकार संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सरकार ईपी स्कीम के सभी अभिदाता सदस्यों के लिए ₹ 1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित कर रही है और व्यय की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 250 करोड़ रुपये का आरंभिक प्रावधान किया है। इसके अलावा, ईपीएस में अभिदान की अनिवार्य पारिश्रमिक सीमा ₹ 6500 से बढ़ाकर ₹ 15000 कर दी गई है और वर्तमान बजट में ₹ 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभिदाताओं की सुविधा के लिए, ईपीएफओ भविष्य निधि खातों की सुवाह्यता सुगमता हेतु अभिदान करने वाले सदस्यों के लिए "एकरूप लेखा संख्या" शुरू करेगा।

विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण

41. सरकार गरिमा के साथ सशक्त जीवन यापन करने के समान अवसरों का लाभ देकर विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी समाज के सृजन हेतु सभी संभव प्रयास करेगी। मैं समकालीन सहायक यंत्रों और सहायक साधनों को शामिल करके सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम के विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ। सार्वभौमिक समावेशी डिजाइन और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों तथा अशक्तता वाले खेलों के लिए केन्द्र की स्थापना भी प्रस्तावित है।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन

42. सरकारी और निजी क्षेत्र की ब्रेल प्रेसों दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल पाठ्य पुस्तकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। पंद्रह नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना करने और विद्यमान दस ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण करने के लिए चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। सरकार दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए ब्रेल लिपि जैसे चिन्हों वाली मुद्रा का मुद्रण भी करेगी।

महिला एवं बाल विकास

43. महिला सुरक्षा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों द्वारा साझा किया गया चिंता का विषय है। हमें विभिन्न अवधारणाओं की जांच करके ऐसी अवधारणाओं को मालूम

करना है जो वैधिकृत हों और तेजी से मापी जा सकें। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "सेफ्टि ऑफ वूमन ऑन पब्लिक रोड ट्रांसपोर्ट" की प्रायोगिक परीक्षण योजना पर ₹ 50 करोड़ के परिव्यय का व्यय किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर ₹ 150 करोड़ की धनराशि का व्यय भी किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में "क्राईसिस मैनेजमेंट सेंटरों" की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। इसका वित्तपोषण निर्भया निधि से किया जाएगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

44. यह बड़े शर्म की बात है कि जब देश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच मुख्य भूमिका के रूप में उभरा है, बालिका के प्रति उदासीनता देश के कई भागों में अभी भी बहुत प्रचण्ड है। इसलिए, मैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह केंद्रीत योजना होगी और जागरूकता सृजन में सहायता करेगी तथा महिलोन्मुखी कल्याणकारी सेवाओं की सुपुर्दगी की कार्यक्षमता में सुधार लाने में भी सहायता करेगी। मैं इसके लिए ₹ 100 करोड़ का प्रस्ताव करता हूँ।

महिलाओं को मुख्य-धारा में लाना

45. सरकार बालिकाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति इस देश के लोगों को भावनात्मक बनाने वाले अभियानों पर ध्यान केंद्रीत करेगी। भावनात्मक बनाने की प्रक्रिया शुरू में ही आरंभ होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में महिलाओं को मुख्य-धारा में लाने के लिए पृथक अध्याय होना चाहिए।

ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

46. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए-1 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण आबादी के आवागमन के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में बेहतर और अधिक ऊर्जावान पीएमजीएसवाई की हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने का समय है। मैं ₹ 14,389 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

मनरेगा

47. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और स्वः-रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, मनरेगा के तहत दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादक, आस्ति सृजन और मूलतया कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से जुड़े कार्य होते हैं।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन

48. आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का उद्देश्य वहनीय आजीविका विकल्पों के जरिये ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का है। इस मिशन के तहत, महिला एसएचजी को 150 जिलों में 4 प्रतिशत और अन्य सभी जिलों में 7 प्रतिशत अविलंब अदायगी पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। मैं महिला एसएचजी के लिए बैंक ऋण के प्रावधान का और 100 जिलों में 4 प्रतिशत पर विस्तार करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए "स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम" की स्थापना करना भी प्रस्तावित करता हूँ। मैं इसके लिए ₹ 100 करोड़ की आरंभिक राशि प्रदान कर रहा हूँ।

ग्रामीण आवास

49. ग्रामीण आवास योजना ने ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के जरिये ऋण लेने वाली ग्रामीण आबादी के बड़े भाग को लाभान्वित किया है। तदनुसार, मैं देश में ग्रामीण आवास को फैलाने तथा उसके समर्थन के लिए सहायता जारी रखने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए वर्ष 2014-15 हेतु ₹8,000 करोड़ का आवंटन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

जल संभर विकास

50. देश में जल संभर विकास को ज्यादा संवेग प्रदान करने के लिए, मैं चालू वित्त वर्ष में ₹2142 करोड़ के प्रारंभिक परिव्यय के साथ "नीरांचल" नामक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पंचायती राज

51. पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के लिए तथा पंचायतों/ग्राम सभाओं के क्षमता निर्माण के लिए 27 राज्यों के 272 पिछड़े जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यान्वित की जा रही है। जिले के अंदर असमानताओं को दूर करने के लिए बीआरजीएफ का पुनर्गठन करना प्रस्तावित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों में पिछड़ी तहसील यूनिटें पर्याप्त सहायता प्राप्त करती हैं।

सुरक्षित पेयजल

52. हमारे बहुत से पेयजल स्रोतों में असंसाधित गंदे पानी, औद्योगिक स्त्रावों तथा कीटनाशकों और उर्वरकों के निक्षालन के कारण फ्लूरायड, आर्सेनिक तथा मानव निर्मित संदूषणों जैसी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। अगले 3 वर्षों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए आर्सेनिक, फ्लूरायड, भारी/विषैले पदार्थों, कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित

लगभग 20,000 बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ₹3,600 करोड़ चिन्हित करना प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

53. "सबके लिए स्वास्थ्य" की तरफ जाने के लिए दो प्रमुख पहलें अर्थात् निशुल्क औषधि सेवा तथा निशुल्क निदान सेवा, प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाएंगी।

54. शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निदान तथा टीबी के मरीजों के इलाज तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिए, एम्स नई दिल्ली तथा मद्रास चिकित्सा कॉलेज, चेन्नई में दो राष्ट्रीय वरिष्ठ व्यक्ति संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उच्च दंत अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अनुसंधान और रैफरल संस्थान किसी एक विद्यमान दंत संस्था में स्थापित किया जाएगा।

55. यह बड़े संतोष का विषय है कि जोधपुर, भोपाल, पटना, ऋषिकेश, भुवनेश्वर तथा रायपुर स्थित सभी छह नए एम्स, जो पीएमएसएसवाई का हिस्सा हैं, कार्य कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में विदर्भ तथा उ.प्र. में पूर्वांचल में एम्स जैसे चार और संस्थान स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन है। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की राशि अलग से रखने के लिए प्रस्ताव करता हूँ। वर्तमान में 58 सरकारी चिकित्सा कालेज अनुमोदित हो चुके हैं। 12 और सरकारी चिकित्सा कालेज बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, सभी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

56. नई औषधि जांच प्रयोगशालों के सृजन द्वारा तथा 31 विद्यमान राज्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाकर राज्य औषधि विनियमकारी और खाद्य विनियमकारी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पहली बार सरकार केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी।

57. वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुधारने तथा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण पर सरकार के ध्यान देने के अनुरूप, पंद्रह आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण आबादी से संबंधित स्थानीय स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान करेंगे।

शिक्षा

स्कूली शिक्षा

58. प्रारंभिक शिक्षा सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। न्यूनतम स्कूल अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने में अवशिष्ट अंतराल है। सरकार प्रथम चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल प्रदान करने का प्रयास करेगी। एसएसए के लिए ₹28,635 करोड़ की राशि तथा आरएमएसए के लिए ₹4966 करोड़ की राशि वित्तपोषित की जा रही है। ₹30 करोड़ की लागत से एक स्कूल आकलन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। नए प्रशिक्षण संबंधी उपकरण

प्रदान करने तथा अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए “पंडित मदन मोहन मालवीय नव अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम” शुरु किया जा रहा है। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की प्रारंभिक राशि अलग से रख रहा हूँ।

59. सूचना प्रौद्योगिकी पहुँच का लाभ उठाने के लिए, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए संचार संबद्ध संपर्क तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में वास्तविक कक्षाएं स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उच्च शिक्षा

60. देश को बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के केन्द्रों की जरूरत है जोकि स्तरीय हों। मैं मध्यप्रदेश में मानविकी में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं जम्मू, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में पाँच और आईआईटी भी स्थापित करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडीशा तथा राजस्थान राज्य में पाँच आईआईएम स्थापित किए जाएंगे। मैं इसके लिए ₹500 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

61. सरकार उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋणों को सुसाध्य बनाने हेतु मानदंडों को आसान और सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखती है।

डिजीटल भारत

62. डिजीटल सुविधा “वालों” तथा डिजीटल सुविधा “विहीनों” के बीच अंतर को पाटने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए सर्व भारत कार्यक्रम “डिजीटल भारत” शुरु करना प्रस्तावित है। यह गांव के स्तर पर ब्रॉड बैंड संयोजनता, आईटी समर्थित प्लेटफार्मों के जरिए सेवाओं तक उन्नत पहुँच, सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता तथा निर्यात और उन्नत घरेलू उपलब्धता के लिए आईटी हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के वर्धित देशीय उत्पादन सुनिश्चित करेगा। साफ्टवेयर प्राटेक्ट स्टार्टअप्स का समर्थन करने पर विशेष ध्यान होगा। गाँवों और स्कूलों में सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट तथा प्रौद्योगिकी मिशन, आईटी कौशल में प्रशिक्षण तथा सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए ई-क्रांति तथा अभिशासन योजना भी प्रस्तावित है। मैंने इस प्रयोजन के लिए ₹500 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी है।

63. “सुशासन” के संवर्धन के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा और मैंने इसके लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

सूचना और प्रसारण

64. सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अभी तक लगभग 400 अनुमतियां जारी की गई हैं। इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ₹100 करोड़ के आबंटन के साथ एक नई आयोजना स्कीम शुरु की जा रही है। यह

योजना लगभग 600 नए तथा विद्यमान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सहायता करेगी।

65. फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलिविजन संस्थान, कोलकाता को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है और एनीमेशन, खेल तथा विशेष प्रभावों में “राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र” स्थापित किया जाएगा।

शहरी विकास

शहरी नवीकरण

66. यह वह समय है जब हमारे शहरों और कस्बों का नवीकरण हो रहा है और ये रहने के बेहतर स्थान बन गये हैं। भौगोलिक तथा आर्थिक दोनों तरह से, आवास और अन्य अवसंरचना को विकसित करते समय, जिसमें स्थानीय भिन्नता हो सकती है, चार मूलभूत गतिविधियों को ऐसे विकास का आधार होना चाहिए। ये हैं:- सुरक्षित पेय जल का प्रावधान और सीवरेज प्रबंधन, उत्पन्न होने वाले आर्गेनिक फलों और सब्जियों के लिए पुनः चक्रित जल का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा डिजीटल संयोजनता। यह सरकार की दृष्टि है कि निजी पूंजी तथा विशेषज्ञता को पीपीपी के जरिए काम में लगाते समय कम से कम पांच सौ (500) ऐसी बसावटों को सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे अगले वर्षों में अपनी अवसंरचना और सेवाओं को नवीकृत कर सकें।

पूलबद्ध नगर पालिका ऋण दायित्व सुविधा:

67. पूलबद्ध नगर पालिका ऋण दायित्व सुविधा: साझा जोखिम आधार पर शहरी क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के संवर्धन और वित्तपोषण के लिए कई बैंकों की सहभागिता के साथ 2006 में यह सुविधा स्थापित की गई थी। इस सुविधा की वर्तमान समग्र निधि ₹5000 करोड़ है। सरकार का मुख्य ध्यान अच्छी अवसंरचना प्रदान करने के लिए है जिसमें शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट निपटान, सीवरेज उपचार, तथा पेयजल शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, 31 मार्च, 2019 तक पांच वर्षों के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ इसे ₹50,000 करोड़ तक बढ़ाना प्रस्तावित है।

शहरी परिवहन

68. शहरी मेट्रो परियोजनाएं बड़े शहरों की भीड़ कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। दो मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए, मेट्रो परियोजनाओं की योजना अब से शुरु हो जानी चाहिए। सरकार पीपीपी मॉड में मेट्रो रेल प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन देगी जिसमें लाइट रेल सिस्टम शामिल हैं, और जिसकी सहायता अर्थक्षमता अंतराल निधियन के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। चालू वित्त वर्ष में, मैं लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

सभी के लिए आवास

69. हमारी सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजन के लिए मैं लोगों, विशेषतः युवा को मकान खरीदने के लिए गृह ऋण पर अतिरिक्त कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहूँगा।

70. मैं कम लागत वाले वहनीय आवास संबंधी मिशन की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक में स्थापित किया जाएगा। कम लागत वाले वहनीय आवास के विकास को तेज करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। मैं शहरी गरीब/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हिस्से को वहनीय आवास के लिए सरस्ते ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए ₹4000 करोड़ रुपए की राशि भी इस वर्ष आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने कुछ अन्य प्रोत्साहनों की रूपरेखा पहले ही बता दी है जैसे इस क्षेत्र में एफडीआई का आसान प्रवाह। सरकार उन अन्य सुझावों की जाँच करने के लिए उत्सुक है जो इस क्षेत्र में विकास को तेज कर देंगे।

71. मैं इस कार्यकलाप में अधिक योगदान देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों की सूची में स्लम विकास को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कुपोषण

72. भारत में बिगड़ती हुई कुपोषण की स्थिति को रोकने के लिए मिशन मॉड में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान उपाय पर्याप्त नहीं हैं। विस्तृत विधितंत्र, लागत, समयसीमा और निगरानी लक्ष्यों सहित एक व्यापक कार्यनीति छह महीनों में स्थापित की जाएगी।

अल्पसंख्यक

73. परंपरागत कला और शिल्प के संरक्षण के लिए, जो समृद्ध विरासत है, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु परंपरागत कलाओं में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए “कला, संसाधन और वस्तुओं में परंपरागत कौशल का उन्नयन” नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

74. मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्कूली शिक्षा विभाग को प्रदान की गई है।

III कृषि

75. गतिविधि के रूप में कृषि हमारे स.घ.उ. में लगभग 1/6 का योगदान देती है तथा हमारी जनसंख्या का मुख्य हिस्सा जीविका के लिए इसी पर निर्भर है। बढ़ती हुई आबादी के लिए भोजन प्रदान करने में भारत को अधिकांश रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह चुनौती के रूप में उभरी है।

कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक तथा लाभप्रद बनाने के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी विकास तथा विद्यमान कृषि-व्यवसाय अवसंरचना के सृजन और आधुनिकीकरण में सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के निवेश बढ़ाए जाने की तत्काल जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा इस क्षेत्र में अनुसंधान में आगे रहा है। तथापि, स्वतंत्रता के बाद, केवल एक ही ऐसा केन्द्र स्थापित किया गया है। सरकार चालू वित्त वर्ष में ₹100 करोड़ की प्रारंभिक राशि से असम और झारखंड में इसी पैटर्न पर दो और उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त, कृषि-प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि स्थापित करने के लिए ₹100 करोड़ की राशि अलग से रखी जा रही है।

76. आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना और हरियाणा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए ₹200 करोड़ की प्रारंभिक राशि आवंटित की गई है।

77. मृदा स्वास्थ्य का बिगड़ना चिंता का विषय रहा है और इससे कृषि संसाधनों का उप-इष्टम उपयोग हुआ है। सरकार प्रत्येक किसान को मिशन मॉड में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के लिए योजना शुरू करेगी। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹100 करोड़ की राशि तथा पूरे देश में 100 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए ₹56 करोड़ की अतिरिक्त राशि अलग से रखने का प्रस्ताव करता हूँ। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन के बारे में चिंताएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिससे मृदा का स्वरूप बिगड़ा है।

78. जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है जिसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना है गतिविधि के रूप में कृषि जलवायु परिवर्तन को तरंगों के प्रति सर्वाधिक झुकी रही हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए, मैं जलवायु परिवर्तन के लिए “राष्ट्रीय अनुकूलन निधि” स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। आरंभिक राशि के रूप में, ₹100 करोड़ की राशि निधि में अंतरित की जाएगी।

79. हम कृषि में 4% की वृद्धि बनाए रखने का लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए उच्च उत्पादकता पर ध्यान देते हुए हम प्रौद्योगिकी चालित द्वितीय हरित क्रांति लाएंगे और “प्रौद्योगिकी क्रांति” को ध्यान देने के मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल करेंगे।

80. चूंकि बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान गारंटी के रूप में भू-स्वामित्व प्रदान करने में अक्षम हैं, इसलिए उनको संस्थागत वित्तपोषण मना है और वे साहूकारों की सूदखोरी वाली उधार का शिकार बन जाते हैं। मैं चालू वित्त वर्ष में नाबार्ड के जरिए “भूमिहीन किसान” के संयुक्त कृषि समूहों को ₹5 लाख के धन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

81. कृषि उपज में मूल्य अस्थिरता किसानों के लिए अनिश्चितताएं और मुश्किलें पैदा करती हैं। इसको कम करने के लिए मैं मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए ₹500 करोड़ की राशि की व्यवस्था कर रहा हूँ।

82. किसानों और उपभोक्ताओं के हितों को देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर और बाजारों का समेकन करके बाद में पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ घनिष्टता से कार्य करेगी ताकि उनके संबंधित एपीएमसी अधिनियमों को (i) निजी बाजार यार्डों/निजी बाजारों की स्थापना के लिए व्यवस्था करने हेतु पुनराभिमुख किया जा सके। राज्य सरकारों को शहरी क्षेत्रों में किसानों के बाजार विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

83. मैं देशीय पशु नस्लों के विकास के लिए ₹50 करोड़ की राशि तथा अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग में नीली क्रांति प्रारंभ करने के लिए इतनी ही राशि अलग से रखने का प्रस्ताव रखता हूँ।

कृषि ऋण

84. वर्ष 2014-15 के दौरान, कृषि ऋण के लिए ₹8 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, मुझे उम्मीद है कि बैंक इसे अधिक ऋण प्रदान करेगा।

अल्पावधिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम

85. अल्पावधिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता स्कीम के अंतर्गत, बैंक 7% की रियायती दर पर किसानों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को 3% का और प्रोत्साहन मिलता है। मैं इस स्कीम को 2014-15 में जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

86. प्राथमिकता क्षेत्र में से, बैंकों के ऋण देने में कमी के कारण नाबार्ड, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का कार्य करता है, जो पूरे देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन में मदद करता है। मौजूदा वित्त वर्ष में ₹25,000 करोड़ को अंतरिम बजट में दिए गए लक्ष्य से अतिरिक्त ₹5000 करोड़ देकर आरआईडीएफ निधि जुटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

भाण्डागार अवसंरचना निधि

87. कृषि उत्पादों का भण्डारण काल बढ़ाने के लिए और उसके द्वारा किसानों के अर्जन क्षमता के लिए बढ़ते भण्डारागार क्षमता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में वैज्ञानिक भण्डारागार अवसंरचना की उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, वर्ष 2014-15 के लिए मैं ₹5,000 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि का सृजन

88. कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण का हिस्सा अल्पावधिक फसल ऋण की तुलना में कम हो रहा है। यह कृषि और

सम्बद्ध क्रिया-कलापों में आस्ति सृजन को गंभीर रूप से बाधित कर रहा है। कृषि में दीर्घावधिक निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए मैं सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ नाबार्ड में "दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि" स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि का आबंटन

89. केन्द्रीय बजट 2008-09 में ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि के साथ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) पुनर्वित्त निधि की घोषणा की गई थी। किसानों को वर्द्धित और निर्बाध ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने और नाबार्ड द्वारा उच्च लागत वाले बाजार उधार से बचाने के लिए 2014-15 के दौरान, मैं एसटीसीआरसी के लिए ₹50,000 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उत्पादक विकास और उत्थान निधि (प्रोड्यूस)

90. देश में छोटे और सीमांत किसानों के अनुपातिक वृद्धि के उद्देश्य से कृषि आधारित छोटे धारक की लाभप्रदता के मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए हैं। मैं, उत्पादक विकास और उत्थान जिन्हें प्रोड्यूस के नाम से जाना जाता है, अगले दो वर्ष में पूरे देश में 2,000 उत्पादक संगठनों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के लिए नाबार्ड के उत्पादक संगठन विकास निधि के अनुपूरण हेतु ₹200 करोड़ देने का प्रस्ताव करता हूँ।

खाद्य सुरक्षा

91. सरकार, खाद्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय खाद्य निगम की पुनर्संरचना करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वहनीयता और वितरण संबंधी हानियों को कम करने और उनकी क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

92. समाज के कमजोर वर्गों को उचित कीमतों पर गोहूँ और चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यहां तक कि अपर्याप्त वर्षा के कारण कृषि उत्पादन में मामूली कमी होती है फिर भी किसी आपात से निपटने के लिए केन्द्रीय पुल में स्टॉक पर्याप्त हैं। कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार, आवश्यक हो तो, खुला बाजार बिक्री शुरू करेगी।

किसान टी.वी.

93. किसान टी.वी. जो कृषि और सम्बन्ध क्षेत्र के हितों के लिए समर्पित है मौजूदा वित्त वर्ष में शुरू किया जाएगा। यह किसानों के लिए नई खेती तकनीकियों, जल संरक्षण, जैविक खेती आदि जैसे संबंधित विषयों पर वास्तविक समय सूचना का प्रचार-प्रसार करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ कुल ₹100 करोड़ नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

IV उद्योग

94. भारत में ई-बिज प्लेटफार्म का उद्देश्य कारोबार और निवेशक अनुकूल माहौल का सृजन करना है जिनका लक्ष्य एकीकृत भुगतान गेटवे वाले 24x7 एकल पोर्टल पर उपलब्ध सभी कारोबार और निवेश से संबंधित अनापत्तियों और अनुपालनाओं को तैयार करना है। सभी केन्द्रीय सरकार के विभाग और मंत्रालय इस वर्ष 31 दिसम्बर तक प्राथमिकता आधार पर ई-बिज प्लेटफार्म से अपनी सेवाओं को जोड़ेंगे।

95. परिवहन संयोजकता से जुड़े स्मार्ट शहरों के साथ औद्योगिक गलियारे का विकास समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा प्राधिकरण, जिनका मुख्यालय पुणे में है, की स्थापना की जा रही है। यह कार्यनीति की आधारशिला होगी ताकि विनिर्माण और शहरीकरण में भारत के विकास को गति प्रदान की जा सके। मैंने, इस प्रयोजन के लिए ₹100 करोड़ की प्रारंभिक निधि उपलब्ध करायी है।

96. भारत के सात राज्यों में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक मास्टर आयोजना में औद्योगिक स्मार्ट शहरों की स्थापना शीघ्रतापूर्वक पूरी कर ली जाएगी। चन्नई-बंगलुरु औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में तीन नए स्मार्ट शहरों की मास्टर योजना अर्थात् तमिलनाडु में पोन्नेरी, आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम और कर्नाटक में तुमकुर को पूरा कर लिया जाएगा।

97. बंगलुरु-मुम्बई आर्थिक गलियारा (बीएमईसी) के लिए संबंधित योजना और विजाग-चेन्नई गलियारा को 20 नए औद्योगिक क्लस्टरों के प्रावधान के साथ पूरा किया जा सकेगा।

98. हार्डवेयर विनिर्माण पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए काकिनाडा, इसके आसपास के क्षेत्र और पत्तन का विकास, आर्थिक विकास के प्रमुख प्रचालकों के रूप में किया जाएगा।

99. निर्यात में घातांकी वृद्धि तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि सुदृढ़ अवसंरचना और पूर्ण सुगमता उपलब्ध कराकर निर्यात संवर्धन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि उच्च विकास पथ पर भारत के निर्यात को लाने के लिए राज्यों को जोड़ा जाए। सभी स्टेकहोल्डरों को एक छत के नीचे लाने के लिए एक निर्यात मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

100. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को पुनः बहाल करने और औद्योगिक-उत्पादन, आर्थिक विकास, निर्यात संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए उन्हें कारगर माध्यम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए, विशेष, आर्थिक क्षेत्रों को परिचालित करने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेशकों के हित को बहाल करने, बेहतर अवसंरचना का विकास करने और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उपलब्ध

अप्रयुक्त भूमि का कारगर और दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रशिक्षुता

101. भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना करते हुए, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और उद्योग में आने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रशिक्षुता अधिनियम को उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा ताकि उद्योग और युवाओं को और अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। हम सूक्ष्म, मझौले और मध्यम उद्यमों को भी प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इस स्कीम का लाभ उठा सकें।

सूक्ष्म, मझौले और मध्यम उद्यम क्षेत्र

102. सूक्ष्म मझौले और मध्यम उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारे औद्योगिक उत्पाद और रोजगार में इन का बड़ा हिस्सा है। सेवा क्षेत्र उद्यमों का बड़ा हिस्सा मझौले और मध्यम उद्यम का है। इनमें से अधिकतर एसएमई स्वयं खाता उद्यम हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से अधिकतर उद्यम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के स्वामित्व में हैं। इन क्षेत्रों का वित्तपोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है खासकर चूंकि यह सबसे कमजोर तबकों को लाभ पहुंचाता है। वित्त का एक बड़ा अंश औपचारिक क्षेत्र के बाहर से आता है। इसके अपने नुकसान हैं। इस क्षेत्र में वित्तीय अवसंरचना की जांच करने, उनके वित्तपोषण में आई बाधाओं को दूर करने और नए नियमों और अवसंरचनाओं का भी सृजन करने की आवश्यकता है, जो औपचारिक वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक होंगे। मैं, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म मझौले और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों से एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो तीन महीनों में ठोस सुझाव दे सके।

103. यह प्रस्ताव है कि उद्यम पूंजी निधि, अर्ध इक्विटी, कम ब्याज दर वाले ऋण और अन्य जोखिम पूंजी खासकर युवाओं द्वारा नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने, के जरिए इक्विटी उपलब्ध कराकर ₹10,000 करोड़ से निधियों की निधि स्थापित की जाए।

104. नवोन्मेष, उद्यमिता और कृषि-उद्योग से संबंधित के लिए तकनीकी केन्द्र नेटवर्क की स्थापना हेतु, मैं ₹200 करोड़ की निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। उच्च पूंजी सीमा उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की पुनरीक्षा की जाएगी।

105. उच्चतर पूंजी सीमा उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई की परिभाषा की पुनर्समीक्षा की जाएगी। अगले और पिछले संयोजनों की सुविधा के लिए विनिर्माण तथा सेवा प्रदाता की बहुमूल्यन-श्रृंखला पर एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

106. आसान निकासी के लिए एसएमई के लिए उद्यमी समर्थक कानूनी दिवालिया ढांचा विकसित किया जाएगा।

त्वरित उद्यमिता के लिए आवश्यक समर्थन मुहैया कराने और नए विचारों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी "जिला स्तरीय इन्कमबेशन एण्ड एकसेलेटर प्रोग्राम" शुरू किया जा सकेगा।

वस्त्र

107. हस्तकरघा उत्पादों का विकास और संवर्धन करने और वाराणासी जहां, एक टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर की सहायता करने का इरादा रखता हूँ, के हस्तकरघों की उच्च परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए ₹50 करोड़ का परिव्यय वाले एक व्यापार सुविधाकरण केन्द्र और एक शिल्प संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। बरेली, लखनऊ, सूरत, कच्छ, भागलपुर और मैसूर में छह और टेक्सटाइल मेगा-क्लस्टरों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस प्रयोजन के लिए कुल ₹200 करोड़ का आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

108. दिल्ली में पीपीपी प्रणाली में हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण, बहाली और प्रलेखन के लिए एक हस्तकला अकादमी स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस प्रयोजन के लिए कुल ₹30 करोड़ रखता हूँ।

109. जम्मू व कश्मीर के अन्य शिल्पों के विकास के लिए पश्मिना संवर्धन कार्यक्रम (पी-3) की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, ₹50 करोड़ की राशि रख रहा हूँ।

V. अवसंरचना

110. भारत विश्व में सबसे बड़ा पीपीपी बाजार के रूप में उभरा है जहां विकास के विभिन्न चरणों में 900 से अधिक परियोजनाएं हैं। पीपीपी ने हवाई अड्डों, पत्तनों और राजमार्गों जैसी कुछेक विशिष्ट अवसंरचना प्रदान की है जो वैश्विक रूप से विकास के लिए मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। किंतु हमने पीपीपी फ्रेमवर्क की खामियों कठोर संविदात्मक व्यवस्थाओं, अधिक सूक्ष्म और संविदा की परिष्कृत मॉडलों को विकसित करने की जरूरत और कठिन परियोजनाओं के दबाव को कम करने के लिए त्वरित विवाद समाधान प्रक्रिया विकसित करने की खामियों को भी देखा है। सरकारी निजी भागीदारी जिन्हें 3 पी इंडिया कहा जाता है को मुख्यधारा में रखते हुए सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी जिसमें ₹500 करोड़ की आधारभूत निधि है।

पोत परिवहन

111. भारतीय नियंत्रित टन भार की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी जिसे कि भारतीय समुद्री यात्रियों के रोजगार में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। व्यापार बढ़ाने के लिए पत्तनों का विकास भी महत्वपूर्ण है। पत्तन संयोजकता पर केन्द्रित करते हुए इस वर्ष सोलह नए पत्तन परियोजनाओं को अवार्ड दिए जाने का प्रस्ताव है।

चरण I के लिए तूतीकोरिन में बाह्य बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए ₹11,635 करोड़ आबंटित किए जाएंगे। कांडला और जेएनपीटी में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति की भी घोषणा की जाएगी।

अन्तरदेशीय नौवहन

112. जिंसों की परिवहन क्षमता बढ़ाने हेतु अंतरदेशीय जलमार्ग का विकास व्यापक रूप से सुधारा जा सकता है। 1620 कि.मी. की दूरी कवर करने के लिए इलाहाबाद और हल्दिया के बीच "जल मार्ग विकास (राष्ट्रीय जल मार्ग-I)" नामक एक गंगा परियोजना विकसित की जाएगी। जिन्हें कम से कम 1500 टन पोतों का वाणिज्यिक नौवहन हो सकेगा। ₹4200 करोड़ की अनुमानित लागत से यह परियोजना छह वर्ष में पूरी होगी।

नए विमानपत्तन

113. हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने के बावजूद हवाई यात्रा आज भी कई इच्छुक भारतीयों के लिए सपना बनी हुई है। टीयर-I तथा टीयर-II में नए विमानपत्तनों की एक स्कीम शुरू की जाएगी जोकि यथा संभव सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू की जाएगी।

सड़क क्षेत्र

114. सड़क क्षेत्र देश के संचार में एक धमनी का कार्य करता है। इस क्षेत्र को 1998-2004 में एन.डी.ए-I के काल में तैयार किया गया था। अवरुद्ध बाधित स्वीकृतियों व निकासियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश किए जाने की पुनः आवश्यकता है। मैं एनएचएआई और राज्य सड़कों पर ₹37,880 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें ₹3000 करोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए होंगे। सीएफवाई लक्ष्यों के दौरान 85,00 कि.मी. राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

115. किसी आधुनिक राष्ट्र को परिवहन के बहुसाधनों की जरूरत होती है। भारत जैसे विशाल देश में ऐसा परिवहन नेटवर्क होना चाहिए जो भौगोलिक तौर पर दूर-दराज के नगरों के बीच तीव्र यात्रा सुनिश्चित करे। इससे देश में वस्तुओं का परिवहन सुलभ होने से आपूर्ति चेन में भी सुधार होगा। औद्योगिक गलियारों के साथ-साथ ही हमें चुर्नीदा एक्सप्रेस वे पर भी काम शुरू करना होगा। इस परियोजना की तैयारी के लिए एनएचएआई ने ₹500 करोड़ की राशि नियत की है।

विद्युत

116. स्वच्छ और ज्यादा असरकारी ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए मैं "अल्ट्रा माडर्न सुपर क्रिटीकल कोल आधारित ताप विद्युत प्रौद्योगिकी" के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव करता हूँ।

कोयला

117. घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापक बन्दोवस्त किए जा रहे हैं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण, जिसमें क्रशड कोल की आपूर्ति और वाशरीज की स्थापना भी शामिल है। कोयला क्षेत्र में विद्यमान गतिरोध सुलझा लिया जाएगा और ऊर्जा संयंत्रों को कोयला का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाएंगे जो कि पहले से काम शुरू कर चुके या मार्च 2015 तक काम शुरू करने वाले विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला मुहैया कराया जाएगा। कोयला लिंकेज की यौक्तिकीकरण की प्रक्रिया कोयला परिवहन को अधिकतम करेगी और इस प्रकार विद्युत की लागत कम होगी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

118. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत उच्च प्राथमिकता दिया जाना है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जम्मू व कश्मीर के लद्दाख में अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके लिए मैंने 500 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किया है। एक लाख पम्पों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम सौर ऊर्जा चलित कृषि पम्प सेट तथा जल पम्पिंग केन्द्र स्कीम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं 400 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। नहरों के किनारे 1 मेगावाट सौर पार्कों के विकास के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। पवन ऊर्जा का त्वरित विकास करने के लिए मैं त्वरित अवमूल्यन के फायदे को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव रखता हूँ। पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा का स्थानांतरण सुसाध्य बनाने के लिए हरित ऊर्जा कोरीडोर परियोजना को इस वित्त वर्ष में त्वरित किया जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

119. मेरी सरकार की मंशा है कि कोयला क्षेत्र में आरक्षित मिथेन का उत्पादन और दोहन त्वरित गति से किया जाए। ऐसे स्थलों से अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए पुराने या बंद पड़े कुआँ को दोबारा खोलने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना की भी तलाश की जाएगी।

120. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपयोगिता मिशन मोड में तेजी से बढ़ायी जाएगी क्योंकि यह स्वच्छ है और इसकी प्रदायगी में सहूलियत होती है।

121. इस समय देश में हमारे पास 15,000 कि.मी. गैस पाइप लाइन सिस्टम है। देश भर में गैस ग्रिड पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 कि. मी. पाइपलाइन की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त सरकारी निजी भागीदारी माडलों का उपयोग करते हुए इन पाइप लाइनों का विस्तार किया जाए। घरेलू तथा आयातित गैस का उपयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो लम्बे समय में ऊर्जा के किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने में फायदेमंद होगा।

खनन

122. पर्यावरणीय सरोकारों का त्याग किए बगैर उद्योग की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सतत खनन प्रचलनों को प्रोत्साहित करना और खनन सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन देना मेरी सरकार की मंशा है। लौह अयस्क के खनन सहित खनन सेक्टर में बाधाओं को शीघ्रता से दूर करने की आवश्यकता है। इसे सुसाध्य बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में परिवर्तन बदलाव लाया जाएगा।

रायल्टी दर में संशोधन

123. खनिजों पर रायल्टी की दर में संशोधन करने के लिए अनेक राज्य सरकारों से अनुरोध किए गए हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि रायल्टी में संशोधन तीन वर्ष की अवधि के बाद किया जा सकता है। पिछली बार अगस्त, 2009 में संशोधन किया गया था। अतः राज्य सरकारों के लिए अधिकाधिक राजस्व सुनिश्चित करने हेतु और एक संशोधन किया जाएगा।

VI. वित्तीय सेक्टर

पूंजी बाजार

124. वित्तीय सेक्टर विकास इंजन का केन्द्र बिन्दु है। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण विदेशी बचतों को भारत लाने में सहायता करता है। अपितु वित्तीय सेक्टर को वैश्विक अर्थव्यवस्था की लहर से असुरक्षित भी बना देता है। हमने इसे बहुतायत में विगत हाल में देखा है। कानूनी विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और आधुनिक बनाना अनिवार्य है। भारतीय वित्तीय संहिता जैसे कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, जो बेहतर अभिशासन और जवाबदेही के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस पर शीघ्रता से सभी पण्यधारकों के साथ परामर्श की चालू प्रक्रिया को पूरा करने मेरा प्रयास होगा। बढ़ती जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा अपना भी अनिवार्य है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन परामर्श करके ऐसी मौद्रिक नीति ढांचा लाएगी।

125. यद्यपि उपर्युक्त उपायों के प्रभाव मध्यावधि में महसूस किए जाएंगे, इसी उद्देश्य के लिए मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव रखता हूँ :

- (i) वित्तीय सेक्टर के विनियामकों को जीवंत, गहन और नकदी कारपोरेट बांड बाजार के लिए तुरन्त कदम उठाने और अनावश्यक अडचनों को दूर करके मुद्रा व्युत्पन्न बाजार को गहन बनाने की सलाह देना।
- (ii) सभी सेक्टरों के लिए विदेश में भारतीय कारपोरेट द्वारा जारी सभी बांडों में 5% रोक लगाने के कर की उदारीकृत सुविधा देना और स्कीम की वैधता 30-06-2017 तक बढ़ाना।

- (iii) सभी अनुमेय प्रतिभूतियों पर निक्षेपागार प्राप्तियां जारी करना अनुमत बनाने के लिए एडीआर/जीडीआर के दायरे को उदार बनाना।
- (iv) भारतीय ऋण प्रतिभूतियों का अंतरराष्ट्रीय भुगतान अनुमत करना।
- (v) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तिओं का पूरी तरह पुनर्जीवित करना और कहीं अधिक उदार और महत्वाकांक्षी भारत निक्षेपागार प्राप्ति शुरू करना।
- (vi) चिर-प्रतिक्षित समस्या का समाधान करने के लिए जिन निधियों के प्रबंधक भारत में स्थित हैं उन विदेशी निधियों की आय पर कर उपाय स्पष्ट करना।
- 126.** भारतीय पूंजी बाजार विकासशील भारत के लिए जोखिम पूंजी का स्रोत रहा है। मैं, निम्नलिखित सहित इस बाजार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक उपाय करने का प्रस्ताव रखता हूँ :

- (i) एक समान अपने ग्राहक को जानो मानदण्ड और समस्त वित्तीय सेक्टरों में केवाईसी रिकार्डों का अन्तर-उपयोग आरंभ करना।
- (ii) एक ही प्रचालनात्मक डिमैट खाता शुरू करना ताकि भारतीय वित्तीय सेक्टर के उपभोक्ता इसी एक खाते के जरिए सभी वित्तीय आस्तियों तक पहुंच सकें और लेन-देन कर सकें।

127. वस्तु बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने के भाग के रूप में, भण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण ने भण्डागार सेक्टर को शक्तिशाली बनाने सौदे-बाजी योग्य भण्डागार प्राप्तिओं के विरुद्ध किसानों को फसल कटाई पश्चात् ऋण देने में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए परिवर्तन आयोजना शुरू की है। इस आयोजना को उत्साह पूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा।

128. मौजूदा भारतीय लेखाकरण मानकों को अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के समाभिरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है। भारतीय कम्पनियों द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से स्वैच्छिक रूप से और वित्त वर्ष 2016-17 से अनिवार्य रूप से नए भारतीय लेखाकरण के मानक अपनाने का प्रस्ताव रखता हूँ। अन्तरराष्ट्रीय सहमति के आधार पर बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के लिए भारतीय लेखाकरण मानकों के क्रियान्वयन की तारीख को विनियामक अलग से अधिसूचित करेंगे। कर परिगणना के मानकों की अलग से जांच की जाएगी।

बैंकिंग

129. सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। सैद्धांतिक रूप से सरकार इन सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत है।

130. देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने के लिए वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में एक समयबद्ध कार्यक्रम इस वर्ष 15 अगस्त को प्रारंभ किया जाएगा। इसमें समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा, इसमें महिलाएं छोटे और सीमान्त किसान और श्रमिक भी शामिल होंगे। प्रत्येक परिवार में दो बैंक खाते खोलने का प्रस्ताव है, जो ऋण के लिए भी पात्र होंगे।

131. इस सेक्टर में अपेक्षाकृत बड़े निजी सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहन देने में अवसंरचना हेतु दीर्घवधिक वित्तपोषण बड़ी अड़चन बनी हुई है। आस्ति पक्ष में, बैंकों को अवसंरचना सेक्टर के लिए दीर्घवधिक ऋण देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसकी संरचना में लचीलापन होगा, जिससे संभावित प्रतिकूल आकस्मिकताओं को आत्मसात किया जा सके (कभी-कभी 5-25 संरचना के रूप में जाना जाता है)। देनदारी पक्ष में बैंकों को अवसंरचना सेक्टर को देने हेतु दीर्घवधिक निधि जुटाने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी पूर्व शर्तें कम से कम होंगी जैसाकि सीआरआर, एसएलआर और प्राथमिक सेक्टर ऋण (पीएसएल)।

132. मौजूदा ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद वर्तमान वित्त वर्ष में निजी सेक्टर में सार्वभौमिक बैंकों को सतत प्राधिकार देने के लिए एक ढांचा तैयार किया जाएगा। छोटे बैंकों और अन्य विशिष्ट बैंकों को लाइसेंस देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक ढांचा तैयार करेगा। आला हितों की पूर्ति करने वाले विशिष्ट बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, भुगतान बैंक आदि की परिकल्पना छोटे कारोबारों, असंगठित क्षेत्र, निम्न आय वाले परिवारों, किसानों और प्रवासी कार्य बल की ऋण और प्रेषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है।

133. सरकार के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां जुटाना एक चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, एरनाकुलम, देहरादून, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में छह नए ऋण वसूली न्याधिकरण स्थापित किए जाएंगे। अन्य बलित आस्तियों के पुनरुद्धार के लिए सरकार कारगर उपाय तैयार करेगी।

बीमा सेक्टर

134. भारत में बीमा के लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग तक नहीं पहुंच पाए हैं और बीमा की पैठ तथा सघनता बहुत कम है। सरकार बहु-आयामी तरीके से इस स्थिति का समाधान करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए सभी संबंधित पणधारकों की सहायता ली जाएगी। इसमें उपयुक्त कर प्रोत्साहन, बैंकिंग सम्पर्कियों का उपयोग, निजी सेक्टर की बीमा द्वारा खोले गए वृहद् कार्यालयों को सुदृढ़ करना शामिल होंगे। संसद के विचारार्थ लंबित बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को भी इसमें लेने का प्रस्ताव है।

135. वित्तीय सेक्टर में सुधार के अंतर्गत कानूनी प्रयासों के भाग के रूप में इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम

(पाबंदी) अधिनियम, 1978 के तहत विनियामक कमी को पाटने का प्रस्ताव है। इन उपायों से कंपनियों और निकायों का कारगर विनियामन सुसाध्य हो सकता है, जिससे देश में अनेकों निर्धनों और असुरक्षित लोगों को धोखा दिया है।

अल्प बचतें

136. बचत दर में गिरावट की चिन्ता दूर करने और अल्प बचतकर्ताओं के लिए प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए, मैं अल्प बचतों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

137. मेरी सरकार कन्या (लड़की बच्ची) के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। कन्या को शिक्षा देने और उसके विवाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष अल्प बचत लिखत शुरू की जाएगी। बीमा कवर के साथ राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र भी अल्प बचतकर्ता को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया जाएगा।

138. लोक भविष्य निधि स्कीम में वार्षिक अधिकतम सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया जाएगा।

VII रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

139. हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अतः मैं रक्षा के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 2,30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

एक रैंक एक पेंशन

140. हम साहसी सिपाहियों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि करते हैं। पेंशन की विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा "एक रैंक एक पेंशन" की नीति अपनायी गई है। इस वर्ष की आवश्यकता पूरी करने के लिए और 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव रखते हैं।

आधुनिकीकरण

141. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है ताकि भारत के सामरिक हितों की रक्षा में अपनी कारगर भूमिका निभाने हेतु उन्हें समर्थ बनाया जा सके। अतः मैं मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा हेतु पूंजी परिव्यय 5000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल प्रणाली का त्वरित विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपए शामिल है। अधिप्राप्ति की प्रक्रिया तेज और अधिक सक्षम बनाने के लिए इसे सरल और कारगर बनाने हेतु अनिवार्य कदम भी उठाए जाएंगे।

युद्ध स्मारक

142. देश के सम्मान की रक्षा करने के लिए महान बलिदान देने हेतु सशस्त्र बलों के अधिकारियों और जवानों के प्रति देश ऋणी है। ऐसा करने में उनमें से बहुतों ने अपनी जान गवाई

है। उनके स्मरण में उपयुक्त स्मारक खड़ा करना राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रिन्सेज पार्क में युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। इसका अनुपूरण युद्ध संग्रहालय द्वारा होगा। इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपए का आवंटन देता हूँ।

रक्षा उत्पादन

143. वर्ष 2011 में सरकारी और निजी सेक्टर की कंपनियों को आवश्यक संसाधन मुहैया कराने के लिए अलग से एक निधि की घोषणा की गई थी, इसमें एसएमई तथा देश में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता बढ़ाने वाली रक्षा प्रणाली के अनुसंधान और विकास में सहायक शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थाएं शामिल हैं। तथापि, घोषणा के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए इस उद्देश्य की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि स्थापित करने हेतु मैं 100 करोड़ रुपए निर्धारित करता हूँ।

आंतरिक सुरक्षा

144. राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम की समीक्षा की जाएगी। मैं मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटन 2013-14 के 1847 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में छोटे परन्तु अति आवश्यक विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी मैं अतिरिक्त निधियां आवंटित करता हूँ।

145. सीमा अवसंरचना के सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती गावों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। समुद्री पुलिस थाना, जेटीज के निर्माण और नावों की खरीद आदि के लिए 150 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है।

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक

146. पुलिस बलों के अधिकारियों और जवानों के प्रति राष्ट्र ऋणी है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी शामिल हैं जो देश के भीतर लगातार दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और इस प्रक्रिया में कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। मैं उपयुक्त राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाने की घोषणा करता हूँ। मौजूदा वित्त वर्ष में इसके लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करता हूँ।

VIII संस्कृति और पर्यटन

147. भारत की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर उद्योग के रूप में पर्यटन के विकास और रोजगार सृजन के लिए बड़ी संभावना प्रदान करती है, और हम विशिष्ट थीमों के ईर्द-गिर्द 5 पर्यटक सर्किट बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए हम 500 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव रखते हैं।

148. राष्ट्रीय तीर्थस्थल पुनरोद्धार और अध्यात्मिक परिवर्धन कार्यक्रम (प्रसाद) शुरू किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।

149. विरासत नगरों की विशिष्टताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत नगर विकास एवं संवर्धन योजना (हृदय) लागू की जाएगी। इस प्रयोजन का यह कार्यक्रम में मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपुरम, बेल्लांकनी और अजमेर जैसे नगरों में आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मैं 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ। किफायती तकनीकों और सहभागिता के आधार पर यह परियोजना सरकार, अकादमिक संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के द्वारा लागू की जाएगी।

150. पुरातात्विक स्थलों के परिरक्षण की ओर भी अविलम्ब ध्यान दिया जाना जरूरी है, अन्यथा अपनी भावी पीढ़ी के लिए हम कहीं इन प्राचीन विरासतों से हाथ न धो बैठें। इस वर्ष के लिए मैं 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूँ।

151. पूरे विश्व से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाओं के साथ सारनाथ-गया-वाराणसी बौद्ध सर्किट विकसित किया जाएगा।

152. इधर कई वर्षों से गोआ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभरा है। यह भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के एक स्थायी स्थल के रूप में घोषित हो चुका है। यहां पर एक विश्वस्तरीय समारोह स्थल विकसित किए जाने की महती आवश्यकता है। यह कार्य निजी क्षेत्र की सक्रिय तथा घनिष्ठ सहभागिता द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। भारत सरकार वीजीएफ स्कीम के जरिए सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के आधार पर सुविधाएं सृजित करने की इस पहल को पूरा-समर्थन देगी।

जल संसाधन और गंगा की सफाई

नदियों को जोड़ना

153. नदियां देश की जीवन रेखाएं हैं। वे हमें सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए सिंचाई ही नहीं देती अपितु पेयजल भी उपलब्ध कराती हैं। दुर्भाग्यवश ये सदानीरा नदियां पूरे देश में समान रूप से नहीं बहतीं। इसलिए नदियों को जोड़ने का प्रयास देश के लिए असाधारण रूप से लाभकारी हो सकता है। यही समय है जब हम इस दिशा में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

पावन नदियां

154. गंगा, जोकि इस देश की सामूहिक चेतना में विशिष्ट पावन स्थान रखती है, के संरक्षण और शुद्धि के लिए काफी राशि खर्च की जा चुकी है। तथापि सभी सम्बद्ध पक्षों द्वारा मिलकर की जाने वाली ठोस कार्रवाई के अभाव में ये प्रयास किसी वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच सके हैं। मैं "नमामि

गंगे" नाम से एक एकीकृत गंगा संरक्षण की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ और इस वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूँ।

घाटों का विकास और नदी उद्गमस्थलों का सौन्दरीकरण

155. हमारी नदियों के उद्गम स्थल और घाट प्रचुर ऐतिहासिक विरासत युक्त ही नहीं है, बल्कि उनमें से अधिकांश पावन स्थल भी रहे हैं। देश में इस प्रक्रिया के श्री गणेश के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में घाट विकास और केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली के सौन्दरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

अनिवासी गंगा निधि

156. भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण जैसे क्षेत्रों के विकास में अनिवासी भारतीयों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। इस संदर्भ में, गंगा नदी के परिरक्षण को लेकर अनिवासी भारतीयों की प्रेरणा और उत्साह को उपयोग में लाने के लिए एक अनिवासी कोष गठित किया जाएगा। यह शेष विशेष परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र

157. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऐसे कई अग्रणी अनुसंधान केंद्र हैं जो नैनाटेक्नालाजी, सामग्री विज्ञान, तथा बायो चिकित्सा, उपकरण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। सरकार इस तरह के कम से कम पांच संस्थानों को प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र के रूप में सुदृढ़ करेगी और सरकारी-निजी-सहभागिता के द्वारा इन्हें और भी नवोन्मेषी और प्रभावी स्वरूप प्रदान करेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से निवेश जुटाना।

158. फरीदाबाद और बंगलुरु में बायोटेक कलस्टर्स का विकास उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय गुणवक्ता को और भी अधिक बढ़ाएगा। यह प्रयास डिजीज़ बायोलाजी, स्टेम सेल बायोलाजी और हाइ एंड इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी के लिए माडेल आरंगेनिज्म संसाधनों के आकलन में वैश्विक भागीदारी को जोड़ेगा।

159. मोहाली में अभिनव कृषि बायोटेक कलस्टर्स से प्लाट जेनेटिक तथा फेनो-टाइप प्लेटफार्म का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा निजी तथा सरकारी भागीदारी के आधार पर मोहाली में कृषि को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पुणे और कोलकाता में भी दो नए कलस्टर्स स्थापित किए जाएंगे।

160. जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो-टेक्नोलाजी के अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र के दिल्ली घटक को जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलाजी के क्षेत्र में विश्वनायक के रूप में स्थापित

करते हुए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक भागीदारी विकसित की जाएगी।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

161. 2014-15 में कई प्रमुख अन्तरिक्ष मिशनों की योजना है, जिनमें भारत के भावी हैवी क्षमता वाले लान्चर जी एस.एल.वी. एम.के.-II की प्रायोगिक उड़ान, पी.एस. एल.वी. का वाणिज्यिक प्रतिस्थापन और दो और नेवीगेशनल उपग्रह आदि शामिल हैं।

162. मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला हमारा अन्तरिक्ष यान डेजिग्नेटेड हेलियो सेन्ट्रिक ट्रैजेक्टरी के साथ अपनी 300 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा पर है। मार्स आरबिटर अन्तरिक्ष यान के 24 सितम्बर, 2014 तक मंगलग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है।

खेल तथा युवा मामले

खेल

163. खेल प्रगति और वैयक्तिक विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में खेल अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। सरकार देश के विभिन्न भागों में कई प्रमुख खेलों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहूलियतों और सुविधाओं से लैस इन अकादमियों में निशानेबाजी, तीरन्दाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन तथा ट्रैक और फील्ड आधारित विविध स्पर्धाओं के क्षेत्र में जूनियर और सब जूनियर स्तर की बेहतरीन प्रतिभाओं को तलाशा और तराशा जाएगा।

164. जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त रूप से खेल प्रतिभाएं विद्यमान हैं किन्तु अपर्याप्त खेल सुविधाओं के कारण वहां के युवक अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। मैं जम्मू और कश्मीर घाटी में अन्तर्राष्ट्रीय मानकोयुक्त इन्डोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं।

165. मैं मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं।

166. देश के हिमालयी क्षेत्र में तथा इसके विविध भागों में बसे राज्यों में खेलों की अपनी अनोखी परम्पराएं विकसित हुई हैं। इनके विकास के लिए भारत इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक खेल आयोजित करेगा और इन खेलों में नेपाल और भूटान जैसे पर्वतीय देशों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

167. आगामी एशियायी खेलों में भारत के पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए मैं 100 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करता हूं।

युवा

168. युवा रोजगार कार्यालयों को कैरियर केंद्रों के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा, और नौकरी की उपलब्धता सम्बन्धी सूचना देने के बजाए ये केन्द्र अब युवाओं को परामर्श-सलाह की सुविधा देंगे जिससे कि वे अपनी योग्यता और रुझान के अनुरूप अपने लिए रोजगार तलाश सकें। मैंने इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए हैं।

169. भारत का युवा व्यावहारिक, दूरदृष्टि सम्पन्न है और सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की इच्छा रखता है। नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए मैं 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक आवंटन के साथ "युवा नेतृत्व कार्यक्रम" की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं।

IX. अन्य प्रस्ताव

कश्मीरी विस्थापित प्रवासी

170. इस देश में विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु हमारे विशेष सहयोग की जरूरत है। मैं चालू वित्त वर्ष में इस वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

हिमालय का परिरक्षण

171. देश में हिमालय अध्ययन की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं 100 करोड़ रुपए के आरम्भिक परिव्यय के साथ हिमालय अध्ययन के लिए उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

सीमा शुल्क अकादमी

172. हिन्दूपूर, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य

आर्गेनिक खाद्य

173. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्गेनिक खेती के विकास की असाधारण क्षमता है। आर्गेनिक खाद्य की पूरी दुनियां में बढ़ रही मांग के मद्देनजर पूर्वोत्तर के राज्यों में रहने वाले लोग वाणिज्यिक आर्गेनिक खेती के विकास के साथ-साथ काफी लाभ कमा सकते हैं। इस कार्य को सुगम बनाने के लिए मैं चालू वित्त वर्ष में यहां के लिए इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान करता हूं।

पूर्वोत्तर राज्य रेल संयोजन

174. समुचित जुड़ाव के अभाव में पूर्वोत्तर राज्य अलगाव की भावना और अपर्याप्त विकास से जूझते रहे हैं। इस अंतराल को पाटने के लिए यहां रेल प्रणाली का विकास एक तात्कालिक और महती आवश्यकता है। मेरा इरादा इस क्षेत्र में

रेल सम्पर्क बढ़ाने का है। इसके लिए मैं चालू वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव करता हूँ।

पूर्वोत्तर के लिए 24x7 चैनल

175. देश की विविधता के प्रति महत्तर जागरूकता सृजित करने, सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति के लिए टी.वी. एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है। पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषायी आस्मिता को एक सशक्त माध्यम मुहैया कराने की दृष्टि से 24x7 एक चैनल "अरुण प्रभा" शुरू किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

176. मेरी सरकार ए.पी. पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास से सम्बंधित सभी मसलों के त्वरित निवारण के लिए कृत संकल्प है। संघीय सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दोनों ही राज्यों के सम्बन्ध में विविध मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

177. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली हर साल भारी मात्रा में होने वाले प्रवासन से जूझती रही है। दिल्ली ट्रांसमिशन सम्बन्धी विविध समस्याओं और जल-वितरण और आपूर्ति की अड़चनों से त्रस्त है। इन सभी समस्याओं से पार पाने और सही अर्थों में एक विश्व स्तरीय नगर के रूप में विकसित होने की दिशा में विद्युत सुधार के लिए मैं 200 करोड़ रुपए तथा जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ।

178. इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में दीर्घआवधिक जलापूर्ति के समाधान के लिए लम्बे अर्से से लम्बित रेणुका बांध का निर्माण प्राथमिकता पूर्वक किया जाएगा। इसके लिए मैंने आरम्भिक तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी

179. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा का एक अटूट अंग है। इस द्वीप समूह की संचार सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए मैं 150 करोड़ रुपए की राशि के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

180. इसी प्रकार आपदा रोधी तैयारियों को पूरा करने के लिए मैं पुदुचेरी के लिए 188 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

X. बजट अनुमान

181. अब मैं मुख्य बजट 2014-15 के बजट अनुमानों की तरफ आता हूँ। मुझे विरासत में एक परम्परा मिली है जिसके अन्तर्गत अनिवार्य मदें उपलब्ध कराते हुए भी राजकोषीय समेकन की राह पर बने रहने से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तथापि, हमें जनता की आशाओं को पूरा करने के

लिए जनादेश मिला है। इसे ध्यान में रखते हुए हम 2014-15 के व्यय और प्राप्तियों का एक अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं।

182. वित्त वर्ष के लिए अनुमानित आयोजना-भिन्न व्यय 1219892 करोड़ रुपए है। जबकि योजना भिन्न अनुमानों को तैयार करते समय सभी अनिवार्य गतिविधियों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। उर्वरक सब्सिडी और सशस्त्र बलों पर पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त राशियां उपलब्ध कराई गई हैं।

183. योजना व्यय के अनुमानों को तैयार करते समय विभाग की अवग्रहण क्षमता और इसी वित्तीय परिचय में अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की क्षमता पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 453085 करोड़ की योजना निधियां ही प्रयुक्त हो पाई थी। मुख्य बजट 2014-15 में ₹ 5,75,000 करोड़ के योजना आबंटन 2013-14 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 26.9 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं और ये कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना, रेल नेटवर्क के विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा उपायों, जल संसाधनों के विकास और नदी संरक्षण योजनाओं पर लक्षित हैं। इसके अलावा कार्यक्रमों के केंद्रीकरण के जरिए व्यय की गई राशि से अधिकतम प्रभावी नतीजे हासिल किए जाएंगे।

184. इस प्रकार कुल व्यय अनुमान ₹ 179489 करोड़ है।

185. इस व्यय के वित्तपोषण के लिए अनुमान है कि सकल कर प्राप्तियां ₹ 1364524 करोड़ होंगी, राज्यों के हिस्सों के अंतरण के बाद, केंद्र का हिस्सा ₹ 977258 करोड़ बैठेगा। वित्त वर्ष में कर-भिन्न राजस्व ₹ 212505 करोड़ होगा तथा उधार के अलावा अन्य पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 73952 करोड़ रहेंगी।

186. उपरोक्त अनुमानों के चलते राजकोषीय घाटा सघट का 4.1% और राजस्व घाटा सघट का 2.9 प्रतिशत होगा।

187. माननीय सांसदों को याद होगा कि यह श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली एन.डी.ए. सरकार की ही पहल थी, जिसमें योजना निधियों का 10 प्रतिशत आबंटन अनिवार्य तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया था और इस कोष को विशेष तौर पर अव्यपगतनीय (नान लैप्सेबल) बनाया गया था। मौजूदा बजट से हम एक नया विवरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले योजनागत आबंटनों को अलग से दर्शाया जाएगा। वित्त वर्ष 2014-15 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹ 53,706 करोड़ आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही हमने ₹ 50,548 करोड़ एस.सी.एस.पी. तथा ₹ 32,387 करोड़ टी.एस.पी. के अन्तर्गत भी आबंटित किए हैं। मौजूदा बजट में महिलाओं तथा बच्चों के लिए क्रमशः ₹ 98,030 करोड़ तथा ₹ 81,075 करोड़ आबंटित किए गए हैं।

भाग ख

XI. कर प्रस्ताव

188. अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

189. लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण पर होने वाले सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए, कर प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। अंतरिम बजट 2014-15 में, पूर्वाधिकारी ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में राजस्व संग्रहण लक्ष्य निश्चित किए थे, जो महत्वाकांक्षी प्रतीत होते हैं। मैं इन लक्ष्यों को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए मेरा प्रयास होगा। अब प्रस्तावित कर बदलावों का प्रभाव, वास्तव में, बजट अनुमान 2014-15 में दिया गया है।

190. कर प्रस्ताव तैयार करते समय, मुझे अत्यंत सीमित राजकोषीय गुंजाइश की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, मैंने अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान, विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए उपाय शुरू करने और कर उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि मुकदमेबाजी के मामले कम हो तथा कतिपय क्षेत्रों में विपरीत शुल्क संरचना की समस्या से निपटा जा सके। मैंने व्यक्ति करदाताओं और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को राहत प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है।

प्रत्यक्ष कर

191. मैं प्रत्यक्ष करों से आरंभ करता हूँ।

192. अध्यक्ष महोदया, मेरा कर दर में कोई बदलाव करने का विचार नहीं है। तथापि, छोटे एवं सीमांत करदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति करदाताओं के संबंध में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 50,000/- रुपए बढ़ाकर, 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

193. मेरा कारपोरेट या व्यष्टियों, हिंदु अविभक्त परिवारों, फर्मों आदि के लिए अधिभार की दर में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

194. सभी करदाताओं के लिए शिक्षा शुल्क 3 प्रतिशत की दर पर जारी रहेगा।

195. वर्ष 2012-13 में, सकल घरेलू बचत, सकल घरेलू उत्पाद का 30.1 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2009-10 में 33.7 प्रतिशत थी। बचतों में वृद्धि और उनके उत्पादकारी उपयोग से उच्चतर आर्थिक विकास होता है। परिवार बचतों में मुख्य योगदान करते हैं। इसलिए दीर्घकालिक बचतों में घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत, निवेश सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

196. आवास, अत्याधिक वित्तपोषण की लागत के चलते, मध्य और निम्न मध्यवर्ग के लिए चिंता का क्षेत्र बना हुआ है। अतः, इस भार को कम करने के लिए, मैं स्वयं अधिभोगित आवास संपत्ति के संबंध में ऋण पर ब्याज मद्धे की जाने वाली कटौती सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

197. अवसंरचना और निर्माण सेक्टरों की, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान और अपने लाखों युवाओं के लिए नौकरियों के सृजन हेतु, इन क्षेत्रों में वृद्धि आवश्यक है। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की व्यवस्था करने की दृष्टि से, मैं, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमनों के अनुसार स्थापित किए जाने वाले अवसंरचना निवेश न्यासों और वास्तविक संपदा न्यासों के लिए एक अनुकूल कर प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

198. हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए, विनिर्माण सेक्टर का सर्वोपरि महत्व है। 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को निवेश भत्ते के रूप में प्रोत्साहन देने की घोषणा पिछले वर्ष की गयी थी। अपेक्षाकृत छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, मैं, किसी वर्ष नई संयंत्र एवं मशीनरी में 25 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी को 15 प्रतिशत की दर पर निवेश भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह प्रसुविधा तीन वर्षों अर्थात् 31.03.2017 तक किए जाने वाले निवेशों के लिए मिलेगी। पिछले वर्ष जारी की गयी योजना समानांतर रूप से 31.03.2015 तक चलती रहेगी।

199. मैं, दो नए सेक्टरों अर्थात् लौह-अयस्क की दुलाई के लिए स्लरी पाइपलाइनों, तथा सेमी-कंडक्टर वेफर फेब्रिकेशन मैनुफैक्चरिंग यूनिटों के लिए निवेश संबद्ध कटौती देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। इससे इन दो महत्वपूर्ण सेक्टरों में निवेश बढ़ेगा।

200. देश के लिए विद्युत की पूर्ति एक प्रमुख चिंता क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए, वार्षिक विस्तारों के बजाए, मैं, विद्युत उत्पादन, वितरण और संप्रेषण कार्य शुरू करने वाले उपक्रमों को 10 वर्षीय कर-अवकाश 31.03.2017 तक देने का प्रस्ताव करता हूँ। हमारी नीति में इस स्थायित्व से, निवेशकों को अपने निवेश की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

201. विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों ने भारत में 8 लाख रुपए से अधिक (लगभग 130 बिलियन अमरीकी डालर) का निवेश किया है। उनकी चिंताओं में एक चिंता उनकी आय के स्वरूप के कारण कराधान में अनिश्चितता है। इसके अलावा, इन विदेशी निवेशकों के निधि प्रबंधक इस आशंका में भारत से बाहर रहते हैं कि भारत में उनकी उपस्थिति से कदाचित विपरीत कर परिणाम हो सकते हैं। इस अनिश्चितता को दूर

करने तथा निधि प्रबंधकों को भारत में स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रतिभूतियों में किए जाने वाले लेनदेनों से उद्भूत आय को पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा।

202. भारतीय कंपनियों द्वारा उनकी विदेशी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रतिशत पर कर की रियायती दर से, विदेश से वर्धित निधियों की स्वदेश वापसी हुई है। मैं, विदेशी लाभांशों पर 15 प्रतिशत की इस रियायती दर को बिना किसी समाप्ति तारीख के, जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे कराधान नीति का स्थायित्व सुनिश्चित होगा।

203. भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत वाले दीर्घकालिक विदेशी उधारों को बढ़ाने के लिए, मैं, ब्याज अदायगियों पर 5 प्रतिशत की रियायती दर के लिए विदेशी मुद्रा में उधार की पात्रता तारीख को 30.06.2016 से 31.06.2017 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, केवल अवसंरचना बांडों के बजाय, सभी प्रकार के बांडों को यह कर-प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। मुझे आशा है कि इस उपाय से कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा पाएंगी।

204. अंतरण मूल्य-निर्धारण मामलों में मुकदेबाजी को कम करने के लिए, मैं, अंतरण मूल्य-निर्धारण विनियमनों में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

- (i) एक अग्रिम मूल्य-निर्धारण करार (ए.पी.ए) योजना वर्ष 2012 में आरंभ की गयी थी। इसकी काफी सराहना की गयी। मैं, ए.पी.ए. आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए ए.पी.ए. प्रशासन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, इस ए.पी.ए. योजना में एक "वापसी" प्रावधान शुरू करने का प्रस्ताव रखता हूँ ताकि भावी लेनदेनों के लिए निष्पादित ए.पी.ए., निर्दिष्ट परिस्थितियों में पिछले चार वर्षों में किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिए लागू किया जा सकेगा।
- (ii) भारत में मूल्य-निर्धारण विनियमों को सर्वोत्तम उपलब्ध प्रक्रियाओं के संगत बनाने के लिए, मेरा, आसन्निकट मूल्य के अवधारण की रज कंसैप्ट शुरू करने का विचार है। तथापि, जहां तुलनीय संख्या अपर्याप्त है, वहां गणितीय माध्य धारणा लागू की जाती रहेगी। संगत आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और उपयुक्त नियम विहित किए जाएंगे।
- (iii) अंतरण मूल्य-निर्धारण विनियमनों के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, तुलनीय आंकड़ों के लिए, कुछ अपवादों को छोड़कर, केवल एक वर्ष के

आंकड़ों का उपयोग किए जाने की अनुमति है। मैं, कई वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इन विनियमनों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन संसद के वर्तमान सत्र में पेश किए जाएंगे। इनके अंतर्गत वे प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं जो एडवांस रूलिंग और आयकर समाधान आयोग से संबंधित हैं।

205. इक्विटी-परक निधियों को छोड़कर, म्यूचअल फंडस की स्थिति में, एक वर्ष से अधिक के लिए धारित यूनिटों के अंतरण के लिए उद्भूत पूंजी अभिलाभों पर 10 प्रतिशत की रियायती दर पर कर लगता है, जबकि बैंकों में प्रत्येक निवेशों एवं अन्य ऋण लिखतों में कर उच्चतर दर पर लगता है। इससे कर अंतरपणन की गुंजाइश हो जाती है। इसका अंतरपणन से मुश्किल से ही खुदरा निवेशकों को फायदा हुआ है क्योंकि उनका प्रतिशत ऐसे म्यूचअल फंड निवेशों में बहुत कम है। इस कर अंतरपणन को दूर करने की दृष्टि से, मैं, ऐसी निधियों की यूनिटों के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रयोजन के लिए ऐसी यूनिटों के संबंध में धारण अवधि 12 माह से बढ़ाकर 36 माह कर दी जाए।

206. वर्ष 2003 में, लाभांशों के जरिए आय पर कर देयता, शेयर-धारक से कंपनी को अंतरित किया गया था। शेयर-धारक को सकल लाभांशों पर कर अदा करना था, परंतु अब कंपनी करों की निवल राशि घटाकर, लाभांश की राशि पर कर संदाय करती है। इसी प्रकार, म्यूचअल फंड की दशा में, आय वितरण कर, करों को घटाकर संवितरित आय पर संदाय किया जाता है। मैं, कंपनी और म्यूचअल फंड के मामले में दोनों की इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

207. इस समय, जहां निर्धारित निवासियों को निर्दिष्ट संदायों पर कर की कटौती करवाने तथा कर संदाय करने में विफल हो जाता है, वहां उसकी आय संगणित करते समय, शत-प्रतिशत ऐसे भुगतानों की कटौती के रूप में अनुमति नहीं है। इससे करदाताओं को, विशेषकर जहां कर की दर केवल 1 से 10% हो, अनुचित कठिनाई होती है। इसलिए, मैं, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि 100 प्रतिशत के बजाए, ऐसे संदायों के केवल 30% को अनुमति दी जाएगी।

208. प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010, 15वीं लोक सभा के विघटन होने से, व्यपगत हो गया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट तथा स्टैकहोल्डरों द्वारा अभिव्यक्त विचारों पर विचार करके मेरे पूर्वाधिकारी ने यह संशोधित संहिता मार्च, 2014 में सार्वजनिक कर दी थी। सरकार, इस संशोधित संहिता पर स्टैकहोल्डरों से प्राप्त विचारों पर विचार करेगी। सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता के वर्तमान स्वरूप का पुनर्विलोकण करेगी तथा संपूर्ण मामले पर ध्यान देगी।

209. आशा है कि आयकर विभाग न केवल प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, बल्कि सुकरकर्ता के रूप में भी कार्य करेगा। देश के अनेक भागों में अनेक आयकर सेवा केंद्र खोले गए हैं। मैं, सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 और ऐसे सेवा केंद्र खोलकर यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

210. कर प्रशासन का मुख्य ध्यान कर आधार को व्यापक करना होता है। हमारी नीति में जोर इस बात पर दिया गया है कि यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए गैर-अंतर्वेधी तरीके अपनाए जाएं। इस संबंध में, मैं, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का अधिक प्रयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ।

211. इन प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से कुल 22,200 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

अप्रत्यक्ष कर

212. अब, मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूँ और सीमा-शुल्क से आरंभ करता हूँ।

213. विनिर्माण क्षेत्र, अनेक कारणों से दबाव में रहा है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा असंगत (इनवर्टिड) शुल्कों के मामले को सुलझाने के लिए, मैं निम्नलिखित पर बुनियादी सीमा-शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- साबुनों एवं ओलेवो-रसायनों के विनिर्माण के लिए फैटी एसिडों, क्रूड पाम स्टियरिन, आरबीडी एवं अन्य पाम स्टियरिन, निर्दिष्ट औद्योगिक ग्रेड क्रूड ऑइल पर 7.5 प्रतिशत से शून्य;
- क्रूड ग्लिसरिन पर 12.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत और साबुनों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले ग्लिसरिन पर 12.5 प्रतिशत से शून्य;
- स्टील ग्रेड लाइमस्टोन और स्टील ग्रेड डोलोमाइट पर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत;
- बैटरी वेस्ट और बैटरी स्क्रैप पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत;
- कोयला तार पिच पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत; और
- स्पानडेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों पर 5 प्रतिशत से शून्य।

214. रसायन एवं पेट्रोसायन सेक्टर में नए निवेश एवं क्षमता अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, रिफोरमेट पर बुनियादी सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत;

इथेन, प्रोपेन, इथाइलेन, प्रापीलेन, बुटाडीन और आर्थो-जाइलेन पर 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत; मिथाइल अल्कोहल एवं डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर 7.5 से 5 प्रतिशत; तथा क्रूड नाफ्थालेन पर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत।

215. इलेक्ट्रॉनिक की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने एवं आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, मैं, निम्नलिखित उपाय करना चाहता हूँ:

- सूचना प्रौद्योगिकी करार के क्षेत्राधिकार से बाहर के विनिर्दिष्ट दूरसंचार उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर पर बुनियादी सीमा-शुल्क अधिरोपित करना;
- व्यक्तिगत कम्प्यूटर्स के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सभी निविष्टियों/पुर्जों को 4 प्रतिशत के विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क से मुक्त करना;
- देश में उत्पादित वस्तुओं एवं आयातित वस्तुओं के बीच समता लाने के लिए आयातित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शिक्षा उपकर लगाना; और
- स्मार्ट कार्डों के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीसी शीट एवं रिबन पर लगने वाला 4 प्रतिशत विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क हटाना।

216. कैथोड रे टी.वी. कमजोर वर्गों के व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज्यादा महंगे फ्लैट टी.वी. नहीं खरीद सकते हैं। मैं, कैथोड रे टी.वी. को सस्ता करने के लिए कलर पिक्चर ट्यूबों को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। शुल्क रियायत देने से सूक्ष्म और लघु उद्योग सेक्टर में टी.वी. के विनिर्माण को फिर से बढ़ाने और रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी। साथ ही, भारत में 19 इंच से कम के एलसीडी एवं एलईडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, 19 इंच से कम के एलसीडी और एलईडी टी.वी. पैनलों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 10 प्रतिशत से शून्य करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, एलसीडी और एलईडी टी.वी. पैनलों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, इनके विनिर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले विनिर्दिष्ट पुर्जों को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

217. घरेलू स्टेनलैस स्टील उद्योग, इस समय, क्षमता के गंभीर कम-उपयोग से जूझ रहा है। मैं, स्टेनलैस स्टील उद्योग को गति प्रदान करने के लिए, स्टेनलैस स्टील के आयातित फ्लैट-रोल्ड उत्पादों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

218. हमें सौर ऊर्जा के अपने उपयोग को अधिक से अधिक करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। विद्यमान शुल्क प्रणाली में, सौर फोटोवोल्टिक सेल्स और माड्युलस के घरेलू विनिर्माण के बजाए आयातों को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। इसलिए, मैं, निम्नलिखित को बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- ईवीए शीटों एवं बैक शीटों के विनिर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली निर्दिष्ट निविष्टियां; और
- पीवी रिबनों के विनिर्माण के लिए फ्लैट कॉपर वायर।

सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर को, 5 प्रतिशत की रियायती बुनियादी ड्यूटी भी दी जा रही है।

219. पवन चालित बिजली जनरेटरों के बियरिंगों के विनिर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्ज्ड स्टील रिगों पर, मैं, बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, मैं, पवन चालित जनरेटरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों एवं कच्चे माल पर लगने वाले 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क को भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही, मैं, कंप्रेसड बाओ गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर पर 5 प्रतिशत की रियायती बुनियादी सीमा-शुल्क नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

220. मैंने, बजट 2014-15 में कुछ ही प्रस्तावों पर प्रकाश डाला है कि इन उपायों से भारत में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, आय और अधिक नौकरियां सृजित होंगी।

221. मैंने करो को युक्तिसंगत करने संबंधी कई उपाय भी शुरू किए हैं। वर्तमान में, कोयले पर विभिन्न दरों पर सीमा-शुल्क लगते हैं। मैं, सभी नॉन-अगलोमिरेटिड कायले पर 2.5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क और 2 प्रतिशत की सीवीडी लगाकर इस शुल्क प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से, अंशेसाइट कोयले, बिटुमिनस कोयले, कोकिंग कोयले, स्टीम कोयले एवं अन्य कोयले पर वही शुल्क लगेगा। इससे कोयले के विभिन्न पैरामीटरों के परीक्षण से संबद्ध सभी निर्धारण विवाद और लेनदेन लागत समाप्त हो जाएगी।

222. धातु-कर्म कोक, कोकिंग कोयले से बनाया जाता है। धातुकर्म कोक पर बुनियादी सीमा-शुल्क, कोकिंग कोयले पर लगने वाले शुल्क की तर्ज पर, शून्य से 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।

223. तोड़ने के लिए आयातित पोतों पर 5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। इसके विपरीत, लौह या स्टील के मेल्टिंग स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-

शुल्क लगता है। मैं, पोत टूटन स्क्रैप और लौह या स्टील के मेल्टिंग स्क्रैप, तोड़ने के लिए आयातित पोतों पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करके, इस शुल्क को तर्कसंगत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

224. अर्ध-प्रसंस्कृत, आधे कटे या टूटे हीरों पर, इस समय, बुनियादी सीमा-शुल्क नहीं लगता है। इसके मुकाबले, कटे और पॉलिश किए हुए हीरों एवं कलर किए गए रत्नों पर 2 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगता है। दुरुपयोग रोकने एवं निर्धारण विवादों से बचने के लिए, अर्धप्रसंस्कृत, आधे कटे या टूटे हीरों, कटे एवं पॉलिश किए हुए हीरों और कलर रत्नों पर बुनियादी सीमा शुल्क 2.5 प्रतिशत पर युक्तिसंगत किया जा रहा है। निर्यात बढ़ाने, कीमती एवं कम कीमती रत्नों को बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट दी जा रही है।

225. बने बनाए वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, सजावट वाली वस्तुओं, सजने-संवरने वाली वस्तुओं एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात के लिए शुल्क-मुक्त पात्रता उनके निर्यातों के मूल्य के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

226. अपने प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए, मैं, बॉक्साइट पर लगने वाले निर्यात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

227. यात्री-सामान नियमों के अंतर्गत निःशुल्क यात्री सामान भत्ता, पिछली बार, 2012 में संशोधित किया गया था। यात्री सुविधा के उपाय के तौर पर, मैं, निःशुल्क यात्री-सामान भत्ता 35,000 रुपए से बढ़ाकर 45,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

228. मैं, अब केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के बारे में बताना चाहूंगा।

229. पूंजीगत सामान और आटोमाबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए तथा आर्थिक वृद्धि के पुनःरुत्थान की अपनी वचनबद्धता को देखते हुए, मैंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क रियायतों को 30 जून, 2014 से 6 माह की अवधि के लिए 31 दिसंबर, 2014 तक पहले ही बढ़ा दिया है। हमें उम्मीद है कि इस उद्योग में आने वाले महीनों में सकारात्मक परिवर्तन दिखायी देंगे।

230. इस क्रम में, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई और फसल-कटाई के पश्चात होने वाली कृषि उपज संबंधी हानियों को न्यूनतम किया जाना, खाद्य स्फीति से निपटने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। फलों एवं सब्जियों में हानियां, मुख्यतया, पर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता की कमी के चलते होती हैं। प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग मशीनरी पर लगने वाले केंद्रीय

उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

231. फुटवियर उद्योग, जिसके अधिकतर एसएमई सेक्टर में आते हैं, को राहत देने के उपाय के तौर पर, मैं, 500 रुपए से अधिक परंतु 1,000 रुपए से कम कीमत की प्रति जोड़ी फुट-वियर पर लगाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रति जोड़ी 500 रुपए तक खुदरा कीमत वाली फुटवियर को छूट मिलती रहेगी।

232. मैं, स्मार्ट कार्डों पर लगाने वाले रिआयती केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेनवेट प्रसुविधा के बिना 2 प्रतिशत और सेनवेट प्रसुविधा के साथ 6 प्रतिशत) को वापस लेने तथा 12 प्रतिशत की दर पर एक समान केंद्रीय उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी।

233. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, मैं, निम्नलिखित को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ:

- ईवीए शीटों एवं सोलर बैक शीटों तथा उनके विनिर्माण में प्रयोग होने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुएं;
- सोलर फोटोवॉलटैक सेलों एवं मॉड्यूलों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सोलर टैंपर्ड ग्लास;
- सोलर सेलों और मॉड्यूलों में प्रयोग के लिए पीवी रिबनों के विनिर्माण के लिए फ्लैट कॉपर वायर;
- सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए परियोजना की स्थापना करने हेतु अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर;
- पवन चालित जनरेटरों की बियरिंगों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली फोर्ज्ड स्टील रिंग; और
- कंप्रेस्ड बायागैस (बायो-सीएनजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्कर।

234. चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए, मैं, पीईटी बोटलों सहित प्लास्टिक वेस्ट एवं स्क्रैप से विनिर्मित पीएसएफ और पीएफवाई को 29 जून, 2010 से 7 मई, 2012 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, ऐसे पीएसएफ और पीएफवाई पर बिना सेनवेट सुविधा वाले के लिए 2 प्रतिशत तथा सेनवेट सुविधा वाले के लिए 6 प्रतिशत का नाममात्र शुल्क भावी तारीख से लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

235. खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, बिना सेनवेट सुविधा वाले स्पोर्ट दस्तानों पर 2 प्रतिशत तथा सेनवेट सुविधा

वाले स्पोर्ट दस्तानों पर 6 प्रतिशत का रिआयती केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

236. इन उपायों को करते समय, मुझे संसाधनों की आवश्यकता भी है। तदनुसार, मैं, सिगरेटों पर विशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार की वृद्धियां सिगारों, चुरटों एवं छोटे सिगारों पर करने का प्रस्ताव है। इसी तरह, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पान मसाले पर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत, निर्मित तंबाकू पर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत तथा गुटखा एवं चबाने वाले तंबाकू पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं, वर्धित शर्करा वाले वातित पानी पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। ये अच्छे उपाय हैं और मुझे आशा है कि हरेक कोई मानवीय और राजकोषीय दृष्टिकोण से इनका स्वागत करेगा।

237. स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमों के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन तथा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए, कोयला, पीट और लिग्नाइट पर, इस समय, स्वच्छ ऊर्जा उपकरण लगाया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम के वित्तपोषण एवं संवर्धन और शोध को शार्मिक करने के लिए, मैं, उक्त उपकरण के लगाने के प्रयोजन के व्याप्ति क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इन अतिरिक्त कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए, मैं, स्वच्छ ऊर्जा उपकरण को 50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

238. मैं, अब सेवा कर के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा।

239. हालिया समय में, अप्रत्यक्ष करों में, सेवा कर ने उच्चतम वृद्धि दर दर्शित की है। चूंकि मेरा समग्र उद्देश्य, वस्तु एवं सेवाकर को सुचारु रूप से अंगीकृत करने के लिए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को तैयार करना है, इसलिए इस अवस्था पर कम से कम बदलाव किए गए हैं। इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष करों का दोहरे उद्देश्य कर आधार को विस्तार देना एवं कर अनुपालन बढ़ाना है। सेवा कर के संबंध में मेरे प्रस्ताव, इन उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

240. सेवा क्षेत्र में कर आधार को व्यापक करने के लिए, यह आवश्यक है कि नकारात्मक सूची एवं छूटों को संभव सीमा तक कम किया जाए। तदनुसार, नकारात्मक सूची की समीक्षा की गयी है तथा प्रसारण मीडिया में स्थान के विक्रय या विज्ञापनों के लिए समय पर, इस समय, अधिरोप्य सेवा कर का विस्तार किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन और मोबाइल विज्ञापन जैसे अन्य घटकों पर ऐसे विक्रयों को शामिल किया जा सके। तथापि, प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए स्थान की बिक्री सेवा कर से बाहर ही रहेगी। इसी प्रकार, रेडियो टेक्सियों द्वारा दी गई सेवा पर कर का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि उन्हें रेंट-ए-कैब सेवा के समतुल्य रखा जा

सके। ये नए उद्ग्रहण, वित्त विधेयक के पारित किए जाने के बाद, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

241. कर आधार को व्यापक बनाने के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ छूटों को वापस लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वे भी शामिल हैं जो वातानुकूलित संविदा कैरिजों तथा मानव भागीदारों पर नयी विकसित औषधियों के तकनीकी परीक्षण द्वारा दी जा रही सेवाओं तक विस्तारित है।

242. कुछ क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, मैंने अपनी जानकारी में लायी गयी कुछ बाधाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। भारतीय नौवहन उद्योग यह उल्लिखित करता रहा है कि सेवा उपबंध नियमों में एक प्रावधान के चलते उसे कठिन वैश्विक परिदृश्य में कारबार में घाटा हो रहा है। इसे, अब एक संशोधन के जरिए दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार, तटीय जलयानों के माध्यम से माल की ढुलाई में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, कर अपवंचन घटाना कम हो रही हैं। पर्यटन सेक्टर के अनुरोध की अनुक्रिया में, भारत से बाहर पूर्णतया संचालित किए जाने वाले दौरा (टूर) के संबंध में विदेशी पर्यटकों को भारतीय टूर आपरेटरों द्वारा दी जा रही सेवाओं को कर नेट से बाहर किया जा रहा है। इस सेक्टर की एक दीर्घ-कालिक मांग यह रही है कि रेंट-ए-कैब और टूर आपरेटरों की सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट की सुविधा की अनुमति दी जाए। मैं, अब कारबार की उसी तर्ज के अनुसार क्रेडिट देने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

243. मुझे, छूटों के संबंध में सामाजिक सेक्टर से प्राप्त कुछ अनुरोधों को मानना पड़ा, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में छूट-जनित गडबड़ियां तुलनात्मक दृष्टि से कम होंगी। कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर, लदाई, उतराई, भंडारण, भांडागारण और कपास, भले ही कपास विनोले निकाली हुई है या बधी हुई गांठों में है, की ढुलाई पर सेवा कर की छूट दी जा रही है ताकि इसे कुछ अन्य कृषि उपज के समतुल्य लाया जा सके। 01 जुलाई, 2012 से पहले की अवधि के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सेवा को छूट मिली हुई है।

244. आम आदमी के फायदे के लिए, निर्दिष्ट माइक्रो बीमा योजनाओं के लिए, इस समय, उपलब्ध छूट बढ़ाई जा रही है ताकि उन सभी बीमा माइक्रो योजनाओं को इसके अंतर्गत लाया जा सके जहां राशि प्रति बीमित जीवन पालिसी 50,000 रुपए से अधिक न हो। चूंकि चिकित्सीय और नैदानिक कचरे के सुरक्षित निपटान के मार्ग में करों को नहीं आना चाहिए, इसलिए सामान्य बायो-मेडिकल कचरा-शोधन सुविधाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं को छूट दी जा रही है।

245. छूटों के दायरे के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने और मुकदमेबाजी मामलों को कम करने के लिए, कुछ संशोधनों का प्रस्ताव भी है। इसमें किसी नगरपालिका को, सामान्यतया, सौंपे गए कृत्य और शिक्षा के क्षेत्र में दी जा रही सेवाएं सम्मिलित हैं।

246. कुछ और निर्णय हैं जिनमें राजस्व की छोटी-मोटी लाभ-हानियां सम्मिलित हैं। सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों में, और सेवा कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। इन बदलावों को बजट दस्तावेजों में परिलक्षित किया जाता है।

247. अप्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे कर प्रस्तावों से 7,525 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है।

248. मेरे पास कुछ और ऐसे प्रस्ताव हैं जो व्यापार को सुकर बनाने और विवाद सुलझाने के स्वरूप के हैं। मैं, केवल कुछेक का ही उल्लेख करूंगा।

249. आयात और निर्यात कार्गो की त्वरित निकासी से परिवहन लागत कम हो जाती है और कारबार प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद के लिए, विद्यमान 24x7 सीमा-शुल्क समाशोधन सुविधा को, सभी निर्यात-वस्तुओं के संबंध में 13 और हवाई अड्डों के लिए तथा निर्दिष्ट आयात-निर्यात माल के संबंध में 14 और बंदरगाहों के लिए, देने के उपाय शुरू किए गए हैं।

250. व्यापार को सुकर बनाने के लिए "भारतीय कस्टम सिंगल विंडो प्रोजेक्ट" कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत, आयातक और निर्यातक अपने निकासी दस्तावेजों को केवल एकल केंद्र पर दर्ज कराएंगे। यदि किसी अन्य विनियामक एजेंसियों से कोई अनुमति लेनी अपेक्षित हुई तो उसे ऑनलाईन प्राप्त किया जाएगा तथा व्यापारी को इन एजेंसियों से सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क करके, कारबार करने में लगने वाला समय एवं लागत कम हो जाएगी।

251. अप्रत्यक्ष करों में अग्रिम नियम योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि निवासी निजी लिमिटेड कम्पनियों को इसके अंतर्गत लाया जा सके। इन कम्पनियों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित किए जा रहे नए कार्यों के संबंध में एडवांस रुलिंग का अनुरोध करने की अनुमति होगी। तीव्र विवाद समाधान को सुकर बनाने के लिए समाधान आयोग के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

252. अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि अपीलीय प्राधिकारियों को स्टे अर्जियों पर सुनवाई से मुक्त रखा जा सके तथा अंतिम निपटान के लिए नियमित अपीलों पर कार्रवाई की जा सके।

253. अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं यह बजट सदन को सौंपता हूं।

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****(BUDGET DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2014

No. F. 2(10)-B(D)/2014.—The following is issued for general information :—

Budget 2014-2015**Speech of Arun Jaitley Minister of Finance**

10th July, 2014

Madam Speaker,

I rise to present the Budget for the year 2014-15.

I. STATE OF THE ECONOMY

2. The people of India have decisively voted for a change. The verdict represents the exasperation of the people with the status-quo. India unhesitatingly desires to grow. Those living below the poverty line are anxious to free themselves from the curse of poverty. Those who have got an opportunity to emerge from the difficult challenges have become aspirational. They now want to be a part of the neo middle class. Their next generation has the hunger to use the opportunity that society provides for them. Slow decision making has resulted in a loss of opportunity. Two years of sub five per cent growth in the Indian economy has resulted in a challenging situation. We look forward to lower levels of inflation as compared to the days of double digit rates of food inflation in the last two years. The country is in no mood to suffer unemployment, inadequate basic amenities, lack of infrastructure and apathetic governance.

3. The slowdown in India broadly reflects the trend in many economies. In contrast to the aftermath of the crisis of 2008-09 when restoration of growth in advanced economies was the primary concern, the continuing slowdown being presently witnessed in many emerging economies has posed a threat to a sustained global recovery. Fortunately, there are green shoots of recovery being seen in the global economy. As per IMF, the world economy is projected to grow at 3.6 per cent in 2014 vis-à-vis 3.0 per cent in 2013, with the Euro area expected to register a positive growth after the contraction witnessed in 2012 and 2013. However, the performance of the US economy with attendant implication for the unconventional monetary policy stance and global financial conditions

is pivotal to the fate of global recovery in the coming years. These are the head winds against which the Indian economy would have to maneuver its way to attain high growth trajectory.

4. As Finance Minister I am duty bound to usher in a policy regime that will result in the desired macro-economic outcome of higher growth, lower inflation, sustained level of external sector balance and a prudent policy stance. The Budget is the most comprehensive action plan in this regard. In the first Budget of this NDA government that I am presenting before the august House, my aim is to lay down a broad policy indicator of the direction in which we wish to take this country. The steps that I will announce in this Budget are only the beginning of a journey towards a sustained growth of 7-8 per cent or above within the next 3-4 years along with macro-economic stabilization that includes lower levels of inflation, lesser fiscal deficit and a manageable current account deficit. Therefore, it would not be wise to expect everything that can be done or must be done to be in the first Budget presented within forty five days of the formation of this Government.

5. While higher growth is a sine qua non, we cannot be oblivious of the fact that there is a large population of this country which is below the poverty line. It is the poor who suffer the most. We have to ensure that our anti-poverty programs are well targeted. The growing aspirations of the people will be reflected in the development strategy followed by the Government led by the Prime Minister Shri Narendra Modi and its mandate of “Sab ka Saath Sab ka Vikas”. Allow me to assure this House that we have taken up the challenge in the right earnest. We shall leave no stone unturned in creating a vibrant and strong India.

6. The prevailing economic situation presents a great challenge. It calls for a conscious choice to be made by all of us. Should we allow this drift to carry on and watch helplessly? Should we allow our future to suffer because of our indecisiveness? Should we be victims of mere populism or wasteful expenditure? To me, the response and the remedy are both clear. The task before me today is very challenging because we need to revive growth, particularly in manufacturing and infrastructure to raise adequate resources for our developmental needs. On the other hand, the task is simple if we accept the principle that we cannot spend beyond our means. We need to introduce fiscal prudence that will lead to fiscal consolidation and discipline. Fiscal prudence to me is of paramount importance because of considerations

of inter-generational equity. We cannot leave behind a legacy of debt for our future generations. We cannot go on spending today which would be financed by taxation at a future date. There is an urgent need to generate more resources to fuel the economy. For this, the tax to GDP ratio must be improved and non-tax revenues increased. We must remember that the decline in fiscal deficit from 5.7 per cent of GDP in 2011-12 to 4.8 per cent in 2012-13 and 4.5 per cent in 2013-14 was mainly achieved by reduction in expenditure rather than by way of realization of higher revenue. Although, the external sector witnessed a turn-around with the year ending with a Current Account Deficit of 1.7 per cent of the GDP against 4.7 per cent in 2012-13, this was mainly achieved through restriction on non-essential imports and slowdown in overall aggregate demand. Going forward, we must continue to be watchful of the CAD.

7. My predecessor has set up a very difficult task of reducing fiscal deficit to 4.1 per cent of the GDP in the current year. Considering that we had two years of low GDP growth, an almost static industrial growth, a moderate increase in indirect taxes, a large subsidy burden and not so encouraging tax buoyancy, the target of 4.1 per cent fiscal deficit is indeed daunting. Difficult, as it may appear, I have decided to accept this target as a challenge. One fails only when one stops trying. My Road map for fiscal consolidation is a fiscal deficit of 3.6 per cent for 2015-16 and 3 per cent for 2016-17. I am conscious of the fact that Iraq crisis is leaving an impact on oil prices and the situation in the middle-east continues to be volatile. Monsoon this year appears more unpredictable. While inflation has remained at elevated levels relative to what is perceived as acceptable, there has been a gradual moderation in WPI recently, from a high of 7.35% in 2012-13 and 5.98% in 2013-14. But we are still not out of the woods. We also must address fully the problem of black money which is curse of our economy. Faced with these adversities we have no option but to undertake some bold steps in order to enhance economic activity and spur growth in the economy. These steps are only the beginning of our effort to revive the growth spirit of the Indian Economy. They are directional.

Expenditure Management Commission

8. My Government is committed to the principle of “Minimum Government Maximum Governance”. To achieve this goal, time has come to review the allocative and operational efficiencies of Government expenditure to achieve maximum output. The Government will constitute an Expenditure

Management Commission, which will look into various aspects of expenditure reforms to be undertaken by the Government. The Commission will give its interim report within this financial year. I also propose to overhaul the subsidy regime, including food and petroleum subsidies, and make it more targeted while providing full protection to the marginalized, poor and SC/STs. A new urea policy would also be formulated.

GST

9. The debate whether to introduce a Goods and Services Tax (GST) must now come to an end. We have discussed the issue for the past many years. Some States have been apprehensive about surrendering their taxation jurisdiction; others want to be adequately compensated. I have discussed the matter with the States both individually and collectively. I do hope we are able to find a solution in the course of this year and approve the legislative scheme which enables the introduction of GST. This will streamline the tax administration, avoid harassment of the business and result in higher revenue collection both for the Centre and the States. I assure all States that government will be more than fair in dealing with them.

Tax Administration

10. The sovereign right of the Government to undertake retrospective legislation is unquestionable. However, this power has to be exercised with extreme caution and judiciousness keeping in mind the impact of each such measure on the economy and the overall investment climate. This Government will not ordinarily bring about any change retrospectively which creates a fresh liability. Hon’ble Members are aware that consequent upon certain retrospective amendments to the Income Tax Act, 1961 undertaken through the Finance Act, 2012, a few cases have come up in various courts and other legal fora. These cases are at different stages of pendency and will naturally reach their logical conclusion. At this juncture I would like to convey to this August House and also the investors community at large that we are committed to provide a stable and predictable taxation regime that would be investor friendly and spur growth. Keeping this in mind, we have decided that henceforth, all fresh cases arising out of the retrospective amendments of 2012 in respect of indirect transfers and coming to the notice of the Assessing Officers will be scrutinized by a High Level Committee to be constituted by the CBDT before any action is initiated in such cases. I hope the investor community both within India and abroad would repose

confidence on our stated position and participate in the Indian growth story with renewed vigour.

Advance Ruling and Other Tax Related Measures

11. Tax demand of more than ₹ 4 lakh crore is under dispute and litigation before various Courts and Appellate authorities. This is one of the serious concerns of all taxpayers in this country. In order to reduce litigation in direct taxes, I propose to make certain legislative and administrative changes.

12. Currently, an advance ruling can be obtained about the tax liability of a non-resident from the Authority for Advance Rulings. This facility is not available to resident taxpayers except Public Sector Undertakings. I propose to enable resident taxpayers to obtain an advance ruling in respect of their income tax liability above a defined threshold. I also propose to strengthen the Authority for Advance Rulings by constituting additional benches. I further propose to enlarge the scope of the Income-tax Settlement Commission so that taxpayers may approach the Commission for settlement of disputes. This would continue to be once in a lifetime opportunity for any taxpayer.

13. As an administrative measure, I propose to set up a High Level Committee to interact with trade and industry on a regular basis and ascertain areas where clarity in tax laws is required. Based on the recommendations of the Committee, the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs shall issue appropriate clarifications, wherever considered necessary, on the tax issues within a period of two months.

14. Transfer Pricing is a major area of litigation for both resident and non-resident taxpayers. I have proposed certain changes in the Transfer Pricing regulations, which I would spell out in Part-B of my speech.

15. I hope these measures would go a long way in improving the confidence of taxpayers in the tax system and would provide certainty and clarity in tax laws.

FDI

16. The policy of the NDA Government is to promote Foreign Direct Investment (FDI) selectively in sectors where it helps the larger interest of the Indian Economy. FDI in several sectors is an additionality of resource which helps in promoting domestic manufacture and job creation. India today

needs a boost for job creation. Our manufacturing sector in particular needs a push for job creation.

17. India today is the largest buyer of Defence equipment in the world. Our domestic manufacturing capacities are still at a nascent stage. We are buying substantial part of our Defence requirements directly from foreign players. Companies controlled by foreign governments and foreign private sector are supplying our Defence requirements to us at a considerable outflow of foreign exchange. Currently we permit 26 per cent FDI in Defence manufacturing. The composite cap of foreign exchange is being raised to 49 per cent with full Indian management and control through the FIPB route.

18. The Insurance sector is investment starved. Several segments of the Insurance sector need an expansion. The composite cap in the Insurance sector is proposed to be increased up to 49 per cent from the current level of 26 per cent, with full Indian management and control, through the FIPB route.

19. To encourage development of Smart Cities, which will also provide habitation for the neo-middle class, requirement of the built up area and capital conditions for FDI is being reduced from 50,000 square metres to 20,000 square metres and from US\$ 10 million to US\$ 5 million respectively with a three year post completion lock in.

20. To further encourage this, projects which commit at least 30 per cent of the total project cost for low cost affordable housing will be exempted from minimum built up area and capitalisation requirements, with the condition of three year lock-in.

21. FDI in the manufacturing sector is today on the automatic route. The manufacturing units will be allowed to sell its products through retail including E-commerce platforms without any additional approval.

Bank Capitalization

22. Financial stability is the foundation of a rapid recovery. Our banking system needs to be further strengthened. To be in line with Basel-III norms there is a requirement to infuse ₹ 2,40,000 crore as equity by 2018 in our banks. To meet this huge capital requirement we need to raise additional resources to fulfill this obligation. While preserving the public ownership, the capital of these banks will be raised by increasing the shareholding of the people in a phased manner through the sale of shares largely through retail to common citizens of this country. Thus, while the government will continue to have majority shareholding, the citizens of India will also get direct shareholding in these banks, which currently they hold

indirectly. We will also examine the proposal to give greater autonomy to the banks while making them accountable.

PSU Capital Expenditure

23. To give a thrust to investment in the economy, PSUs will also play their part constructively. I am assured that the PSUs will invest through capital investment a total sum of ₹ 2,47,941 crores in the current financial year to create a virtuous investment cycle.

Smart Cities

24. As the fruits of development reach an increasingly large number of people, the pace of migration from the rural areas to the cities is increasing. A neo-middle class is emerging which has the aspiration of better living standards. Unless, new cities are developed to accommodate the burgeoning number of people, the existing cities would soon become unlivable. The Prime Minister has a vision of developing ‘one hundred Smart Cities’, as satellite towns of larger cities and by modernizing the existing mid-sized cities. To provide the necessary focus to this critical activity, I have provided a sum of ₹ 7,060 crore in the current fiscal.

e-Visa

25. Tourism is one of the larger job creators globally. Many economies world over are supported by tourism. In order to give a major boost to tourism in India, the facility of Electronic Travel Authorization (e-Visa) would be introduced in a phased manner at nine airports in India where necessary infrastructure would be put in place within the next six months. The countries to which the Electronic Travel authorisation facility would be extended would be identified in a phased manner. This would further facilitate the visa on arrival facility.

REITs & InvITs

26. Real Estate Investment Trusts (REITs) have been successfully used as instruments for pooling of investment in several countries. I intend to provide necessary incentives for REITs which will have pass through for the purpose of taxation. As an innovation, a modified REITs type structure for infrastructure projects is also being announced as Infrastructure Investment Trusts (InvITs), which would have a similar tax efficient pass through status, for PPP and other infrastructure projects. These structures would reduce the pressure on the banking system while also

making available fresh equity. I am confident these two instruments would attract long term finance from foreign and domestic sources including the NRIs.

Kissan Vikas Patra

27. Kissan Vikas Patra (KVP) was a very popular instrument among small savers. I plan to reintroduce the instrument to encourage people, who may have banked and unbanked savings to invest in this instrument.

Skill India

28. A national multi-skill programme called Skill India is proposed to be launched. It would skill the youth with an emphasis on employability and entrepreneur skills. It will also provide training and support for traditional professions like welders, carpenters, cobblers, masons, blacksmiths, weavers etc. Convergence of various schemes to attain this objective is also proposed.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

29. Bulk of our farm lands are rain fed and dependent on monsoons. Therefore, there is a need to provide assured irrigation to mitigate risk. To improve access to irrigation we propose to initiate the scheme “Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana”. I propose to set aside a sum of ₹ 1,000 crore for this purpose.

Swatchh Bharat Abhiyan

30. The need for sanitation is of utmost importance. Although the Central Government is providing resources within its means, the task of total sanitation cannot be achieved without the support of all. The Government intends to cover every household by total sanitation by the year 2019, the 150th year of the Birth anniversary of Mahatma Gandhi through Swatchh Bharat Abhiyan.

Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission

31. Gujarat has demonstrated successfully the Rurban development model of urbanization of the rural areas, through which people living in the rural areas can get efficient civic infrastructure and associate services. Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission will be launched to deliver integrated project based infrastructure in the rural areas, which will also include development of economic activities and skill development. The preferred mode of delivery would be through PPPs while using various scheme funds for financing.

Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana

32. Power is a vital input for economic growth and the Government is committed to providing 24x7 uninterrupted power supply to all homes. “Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana” for feeder separation will be launched to augment power supply to the rural areas and for strengthening sub-transmission and distribution systems. I propose to set aside a sum of ₹ 500 crore for this purpose.

Statue of Unity

33. Government of Gujarat has embarked upon the mission to build the largest statue of Sardar Vallabh Bhai Patel. Sardar Patel stands as the symbol of the unity of the country. To support the Gujarat Government in this initiative to erect the Statue of Unity, I propose to set aside a sum of ₹ 200 crore.

II. PLAN & BUDEGTARY ALLOCATIONS

34. I now turn to budgetary allocations. While announcing the allocations, I want to reiterate my Government’s firm commitment to strengthen the federal structure of the country and our resolve to work closely with the State Governments for the larger good of the people.

Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes

35. Government is committed to the welfare of SCs and STs. This year an amount of ₹ 50,548 crore is proposed under the SC Plan and ₹ 32,387 crore under TSP.

36. To provide credit enhancement facility for young start up entrepreneurs from Scheduled Castes, who aspire to be part of the neo-middle class, I propose to set aside a sum of ₹ 200 crore which will be operationalised through a Scheme by IFCI.

37. For the welfare of the tribals “Van Bandhu Kalyan Yojana” is being launched with an initial allocation of ₹ 100 crore.

Welfare of Senior Citizens

Varishtha Pension Bima Yojana

38. NDA Government during its last term in office had introduced the Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY) as a pension Scheme for senior citizens. Under the Scheme a total No. of 3.16 lakh annuitants are being benefitted and the corpus amounts to ₹ 6,095 crore. I propose to revive the Scheme for a limited period from 15 August, 2014 to 14 August, 2015 for the benefit of citizens aged 60 years and above.

39. A large amount of money is estimated to be lying as unclaimed amounts with PPF, Post Office, saving Schemes etc. These are mostly out of investments belonging to the senior citizens and on their demise, remain unclaimed for want of relevant payment instructions. I propose to set up a committee to examine and recommend how this amount can be used to protect and further financial interests of the senior citizens. The committee will give its report not later than December this year.

40. Government is fully committed to the social security and welfare of employees serving in the organized sector. The Government is notifying minimum pension of ₹1,000 per month to all subscriber members of EP Scheme and has made an initial provision of ₹ 250 crore in the current financial year to meet the expenditure. Further, increase in mandatory wage ceiling of subscription to EPS from ₹ 6,500 to ₹ 15,000 has been made and a provision of ₹ 250 crore has been provided in the current budget. For the convenience of the subscribers, EPFO will launch the “Uniform Account Number” Service for contributing members to facilitate portability of Provident Fund accounts.

Empowerment of the Differently Aabled Persons

41. Government will make all out efforts to create a more inclusive society for Persons with Disabilities to enable them to enjoy equal opportunities to lead an empowered life with dignity. I propose to extend the Scheme for Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances (ADIP) to include contemporary aids and assistive devices. It is also proposed to establish National level institutes for Universal Inclusive Design and Mental Health Rehabilitation and also a Centre for Disability Sports.

Incentives for the Visually Challenged

42. The Braille Presses in the Government and private sector are not able to meet the demand of Braille Text books for the visually impaired students. It is proposed to provide assistance to the State Governments to establish fifteen new Braille Presses and modernize ten existing Braille Presses in the current financial year. Government will also print currency notes with Braille like signs to assist the visibly challenged persons.

Women & Child Development

43. Women’s safety is a concern shared by all the honourable members of this House. We need to test out different approaches that can be validated and scaled up quickly. An outlay of ₹ 50 crores will

be spent by Ministry of Road Transport & Highways on pilot testing a Scheme on “Safety for Women on Public Road Transport”. A sum of ₹ 150 crores will also be spent by Ministry of Home Affairs on a scheme to increase the safety of women in large cities. It is also proposed to set up “Crisis Management Centres” in all the districts of NCT of Delhi this year in all Government and private hospitals. The funding will be provided from the Nirbhaya Fund.

Beti Bachao, Beti Padhao Yojana

44. It is a shame that while the country has emerged as a major player amongst the emerging market economies, the apathy towards girl child is still quite rampant in many parts of the country. Therefore I propose to launch Beti Bachao, Beti Padhao Yojana which will be a focused Scheme which would help in generating awareness and also help in improving the efficiency of delivery of welfare services meant for women. I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for this.

Gender Mainstreaming

45. Government would focus on campaigns to sensitize people of this country towards the concerns of the girl child and women. The process of sensitization must begin early, therefore, the school curriculum must have a separate chapter on gender mainstreaming.

Rural Development

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

46. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana initiated during the NDA-I under the stewardship of Prime Minister Atal Behari Vajpayee has had a massive impact in improvement of access for Rural population. It is time to reaffirm our commitment to a better and more energetic PMGSY under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. I propose to provide a sum of ₹ 14,389 crore.

MGNREGA

47. The Government is committed to providing wage and self-employment opportunities in rural areas. However, wage employment would be provided under MGNREGA through works that are more productive, asset creating and substantially linked to agriculture and allied activities.

National Livelihood Mission

48. Ajeevika, the National Rural Livelihood Mission (NRLM), aims to eliminate rural poverty through sustainable livelihood options. Under this

mission, Women SHGs are provided bank loans at 4% on prompt repayment in 150 districts and at 7% in all other districts. I propose to extend the provision of bank loan for women SHGs at 4% in another 100 districts. I also propose to set up a “Start Up Village Entrepreneurship Programme” for encouraging rural youth to take up local entrepreneurship programs. I am providing an initial sum of ₹ 100 crore for this.

Rural Housing

49. The Rural Housing Scheme has benefited a large percentage of rural population who have availed credit through Rural Housing Fund (RHF). Accordingly, I propose to increase the allocations for the year 2014-15 to ₹ 8,000 crore for National Housing Bank (NHB) with a view to expand and continue to support Rural Housing in the country.

Watershed Development

50. To give an added impetus to watershed development in the country, I propose to start a new programme called “Neeranchal” with an initial outlay of ₹ 2,142 crores in the current financial year.

Panchayati Raj

51. Backward Region Grant Fund (BRGF) is being implemented in 272 backward districts in 27 States, to fill up the critical gaps in development of basic infrastructure facilities and for capacity building of Panchayats/ Gram Sabhas in backward areas. It is proposed to restructure the BRGF to address intra-district inequalities to ensure that backward sub-districts units within States receive adequate support.

Safe Drinking Water

52. Many of our drinking water sources have excess impurities like flouride, arsenic and manmade contaminations due to untreated sewage, industrial effluents and leaching of pesticides and fertilizers. It is proposed to earmark ₹ 3,600 crore under National Rural Drinking Water Programme for providing safe drinking water in approximately 20,000 habitations affected with arsenic, fluoride, heavy/ toxic elements, pesticides/ fertilizers through community water purification plants in next 3 years.

Health and Family Welfare

53. To move towards “Health for All”, the two key initiatives i.e. the Free Drug Service and Free Diagnosis Service would be taken up on priority.

54. In order to achieve universal access to early quality diagnosis and treatment to TB patients, two

National Institutes of Ageing will be set up at AIIMS, New Delhi and Madras Medical College, Chennai. A national level research and referral Institute for higher dental studies would be set up in one of the existing Dental institutions.

55. It is a matter of great satisfaction that all the six new AIIMS at Jodhpur, Bhopal, Patna, Rishikesh, Bhubaneswar and Raipur, which are part of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, have become functional. A plan to set up four more AIIMS like institutions at Andhra Pradesh, West Bengal, Vidarbha in Maharashtra and Poorvanchal in UP is under consideration. I propose to set aside a sum of ₹ 500 crore for this. Presently 58 Government medical colleges have been approved. It is also proposed to add 12 more Government medical colleges. In addition, dental facilities would also be provided in all the hospitals.

56. For the first time, the Central Government will provide central assistance to strengthen the States' Drug Regulatory and Food Regulatory Systems by creating new drug testing laboratories and strengthening the 31 existing State laboratories.

57. In keeping with the Government's focus on improving affordable healthcare and to augment the transfer of technology for better health care facilities in rural India, fifteen Model Rural Health Research shall be set up in the states, which shall take up research on local health issues concerning rural population.

Education

School Education

58. Elementary education is one of the major priorities of the Government. There is a residual gap in providing minimal school infrastructure facilities. Government would strive to provide toilets and drinking water in all the girls school in first phase. An amount of ₹ 28,635 crore is being funded for Sarva Shiksha Abhiyan and ₹4,966 crore for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. A School Assessment Programme is being initiated at a cost of ₹ 30 crore. To infuse new training tools and motivate teachers, "Pandit Madan Mohan Malviya New Teachers Training Programme" is being launched. I am setting aside an initial sum of ₹ 500 crore for this.

59. To take advantage of the reach of the IT, I propose to allocate a sum of ₹100 crore for setting up virtual classrooms as Communication Linked Interface for Cultivating Knowledge (CLICK) and online courses.

Higher Education

60. The country needs a large number of Centres of higher learning which are world class. I propose to set up Jai Prakash Narayan National Centre for Excellence in Humanities in Madhya Pradesh. I also intend to set up five more IITs in the Jammu, Chattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala. Five IIMs would be set up in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Odisha and Maharashtra. I propose to set aside a sum of ₹ 500 crore for this.

61. Government also proposes to ease and simplify norms to facilitate education loans for higher studies.

Digital India

62. There is an imminent need to further bridge the divide between digital "haves" and "have-nots". For this it is proposed to launch a pan India programme "Digital India". This would ensure Broad band connectivity at village level, improved access to services through IT enabled platforms, greater transparency in Government processes and increased indigenous production of IT hardware and software for exports and improved domestic availability. Special focus would be on supporting software product startups. A National Rural Internet and Technology Mission for services in villages and schools, training in IT skills and E-Kranti for Government service delivery and governance Scheme is also proposed. I have provided a sum of ₹ 500 crore for this purpose.

63. A programme for promoting "Good Governance" would be launched and I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for this.

Information and Broadcasting

64. So far around 400 permissions for setting up of a Community Radio Stations have been issued. To encourage the growth in this sector, a new plan scheme is being taken up with an allocation of ₹ 100 crore. This Scheme would support about 600 new and existing Community Radio Stations.

65. Film & Television Institute, Pune and Satyajit Ray Film & Television Institute, Kolkata are proposed to be accorded status of Institutes of national importance and a "National Centre for Excellence in Animation, Gaming and Special Effects will be set up.

Urban Development

Urban Renewal

66. It is time that our cities and towns undergo urban renewal and become better places to live in.

While developing housing and other infrastructure, both physical and economic, which can have local variations, four fundamental activities must underpin such development. These are provision of safe drinking water and sewerage management, use of recycled water for growing organic fruits and vegetable, solid waste management and digital connectivity. It is the vision of this Government that at least five hundred (500) such habitations must be provided support, while harnessing private capital and expertise through PPPs, to renew their infrastructure and services in the next ten years.

Pooled Municipal Debt Obligation Facility

67. Pooled Municipal Debt Obligation Facility: This facility was set up in 2006 with participation of several Banks to promote and finance infrastructure projects in Urban Area on shared risk basis. Present corpus of this facility is ₹ 5,000 Crores. This Government has a major focus of providing good infrastructure, including public transport, solid waste disposal, sewerage treatment and drinking water in the urban areas. In keeping with the Hon'ble Prime Minister's vision for urban areas it is proposed to enlarge it to ₹ 50,000 Crores with extension of the facility by five years to March 31, 2019.

Urban Transportation

68. Urban Metro Projects have proven to be very useful in decongesting large cities. For two million plus cities, planning of metro projects must begin now. Government will encourage development of metro rail systems, including light rail systems, in the PPP mode, which will be supported by the Central Government through VGF. In the current financial year, I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for Metro Projects in Lucknow and Ahmedabad.

Housing for All

69. Our Government is committed to endeavour to have housing for all by 2022. For this purpose, I intend to extend additional tax incentive on home loans to encourage people, especially the young, to own houses.

70. I propose setting up a Mission on Low Cost Affordable Housing which will be anchored in the National Housing Bank. Schemes will be evolved to incentivize the development of low cost affordable housing. I propose to allocate this year also a sum of ₹ 4,000 crores for NHB with a view to increase the flow of cheaper credit for affordable housing to the

urban poor/EWS/LIG segment. I have already outlined some other incentives such as easier flow of FDI in this sector. Government is willing to examine other suggestions that would spur growth in this sector.

71. I also propose to add inclusion of slum development in the list of Corporate Social Responsibility (CSR) activities to encourage the private sector to contribute more towards this activity.

Malnutrition

72. A national programme in Mission Mode is urgently required to halt the deteriorating malnutrition situation in India, as present interventions are not adequate. A comprehensive strategy including detailed methodology, costing, time lines and monitorable targets will be put in place within six months.

Minorities

73. A programme for the up gradation of skills and training in ancestral arts for development for the minorities called "Up gradation of Traditional Skills in Arts, Resources and Goods" would be launched to preserve the traditional arts and crafts which are rich heritage.

74. An additional amount of ₹ 100 crores for Modernization of Madarsas has been provided to the Department of School Education.

III. AGRICULTURE

75. Farming as an activity contributes nearly 1/6th to our National GDP and a major portion of our population is dependent on it for livelihood. It has risen to the challenge of making India largely self-sufficient in providing food for a growing population. To make farming competitive and profitable, there is an urgent need to step up investment, both public and private, in agro-technology development and creation and modernization of existing agri-business infrastructure. Indian Agricultural Research Institute, Pusa has been at the forefront of research in this area. However, since independence only one such centre has been established. Government will establish two more such institutions of excellence on similar pattern in Assam and Jharkhand with an initial sum of ₹ 100 crore in the current financial year. In addition, an amount of ₹ 100 crores is being set aside for setting up an "Agri-Tech Infrastructure Fund".

76. It is also proposed to establish Agriculture Universities in Andhra Pradesh and Rajasthan and Horticulture Universities in Telangana and Haryana. An initial sum of ₹ 200 crores has been allocated for this purpose.

77. Deteriorating soil health has been a cause of concern and leads to sub optimal utilization of farming resources. Government will initiate a scheme to provide to every farmer a soil health card in a Mission mode. I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for this purpose and an additional ₹ 56 crores to set up 100 Mobile Soil Testing Laboratories across the country. There have also been growing concerns about the imbalance in the utilization of different types of fertilizers resulting in deterioration of the soil.

78. Climate change is a reality which all of us have to face together. Agriculture as an activity is most prone to the vagaries of climate change. To meet this challenge, I propose to establish a “National Adaptation Fund” for climate change. As an initial sum an amount of ₹ 100 crore will be transferred to the Fund.

79. We are committed to sustaining a growth of 4% in Agriculture and for this we will bring technology driven second green revolution with focus on higher productivity and include “Protein revolution” as an area of major focus.

80. As a very large number of landless farmers are unable to provide land title as guarantee, institutional finance is denied to them and they become vulnerable to money lenders’ usurious lending. I propose to provide finance to 5 lakh joint farming groups of “Bhoomi Heen Kisan” through NABARD in the current financial year.

81. Price volatility in the agriculture produce creates uncertainties and hardship for the farmers. To mitigate this I am providing a sum of ₹ 500 crore for establishing a Price Stabilization Fund.

82. The farmers and consumers’ interest will be further served by increasing competition and integrating markets across the country. To accelerate setting up of a National Market, the Central Government will work closely with the State Governments to re-orient their respective APMC Acts., to provide for establishment of private market yards/ private markets. The state governments will also be encouraged to develop Farmers’ Markets in town areas to enable the farmers to sell their produce directly.

83. I also propose to set aside a sum of ₹ 50 crores for the development of indigenous cattle breeds and an equal amount for starting a blue revolution in inland fisheries.

Agriculture Credit

84. Banks are providing strong credit support to the agriculture sector. A target of ₹ 8 lakh crore has

been set for agriculture credit during 2014-15 which, I am confident, the banks will surpass this.

Interest Subvention Scheme for Short Term Crop Loans

85. Under the Interest Subvention Scheme for short term crop loans, the banks are extending loans to farmers at a concessional rate of 7%. The farmers get a further incentive of 3% for timely repayment. I propose to continue the Scheme in 2014-15.

Rural Infrastructure Development Fund

86. NABARD operates the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), out of the priority sector lending shortfall of the banks, which helps in creation of infrastructure in agriculture and rural sectors across the country. I propose to raise the corpus of RIDF by an additional ₹ 5,000 crores from the target given in the Interim Budget to ₹ 25,000 crores in the current financial year.

Warehouse Infrastructure Fund

87. Increasing warehousing capacity for increasing the shelf life of agriculture produces and thereby the earning capacity of the farmers is of utmost importance. Keeping in view the urgent need for availability of scientific warehousing infrastructure in the country, I propose an allocation of ₹ 5,000 crore for the fund for the year 2014-15.

Creation of Long Term Rural Credit Fund

88. The share of long term investment credit in agriculture is going down as compared to short term crop loan. This is severely hampering the asset creation in agriculture and allied activities. In order to give a boost to long term investment credit in agriculture, I propose to set up “Long Term Rural Credit Fund” in NABARD for the purpose of providing refinance support to Cooperative Banks and Regional Rural Banks with an initial corpus of ₹ 5,000 crore.

Allocation of STCRC (Refinance) Fund

89. The Short Term Cooperative Rural Credit (STCRC) – Refinance Fund was announced in Union Budget 2008-09 with initial corpus of ₹ 5,000 crore. In order to ensure increased and uninterrupted credit flow to farmers and to avoid high cost market borrowings by NABARD, I propose to allocate an amount of ₹ 50,000 crore for STCRC Fund during 2014-15.

Producers Development and Upliftment Corpus (PRODUCE)

90. The issue of profitability of small holding based agriculture has assumed importance in view of increasing proportion of small and marginal farmers in the country. I propose to supplement NABARD's Producers' organization development fund for Producer's development and upliftment called PRODUCE with a sum of ₹ 200 crore which will be utilized for building 2,000 producers organizations across the country over the next two years.

Food Security

91. Government is committed to reforms in the food sector. Restructuring FCI, reducing transportation and distribution losses and efficacy of PDS would be taken up on priority.

92. Government is also committed to provide wheat and rice at reasonable prices to the weaker sections of the society. Even if due to inadequate rainfall there is a marginal decline in agriculture production, stocks in the Central pool are adequate to meet any exigency. Government shall, when required, undertake open market sales to keep prices under control.

Kisan TV

93. Kisan TV, dedicated to the interests of the agriculture and allied sector will be launched in the current financial year. This will disseminate real time information to the farmers information regarding new farming techniques, water conservation, organic farming etc. I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for this purpose.

IV. INDUSTRY

94. The eBiz platform aims to create a business and investor friendly ecosystem in India by making all business and investment related clearances and compliances available on a 24 × 7 single portal, with an integrated payment gateway. All Central Government Departments and Ministries will integrate their services with the eBiz platform on priority by 31 December this year.

95. A National Industrial Corridor Authority, with its headquarters in Pune, is being set up to coordinate the development of the industrial corridors, with smart cities linked to transport connectivity, which will be the cornerstone of the strategy to drive India's growth in manufacturing and urbanization. I have provided an initial corpus of ₹ 100 crore for this purpose.

96. The Amritsar Kolkata Industrial master planning will be completed expeditiously for the establishment of industrial smart cities in seven States of India. The master planning of three new smart cities in the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor region, viz., Ponneri in Tamil Nadu, Krishnapatnam in Andhra Pradesh and Tumkur in Karnataka will also be completed.

97. The perspective plan for the Bengaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC) and Vizag-Chennai corridor would be completed with the provision for 20 new industrial clusters.

98. Kakinada, its adjoining area and the port will be developed as the key drivers of economic growth in the region with a special focus on hardware manufacturing.

99. Exports cannot be exponentially increased unless the states play a very active role in export promotion by providing good infrastructure and full facilitation. It will be our endeavor to engage with the states to take India's exports to a higher growth trajectory. It is proposed to establish an Export promotion Mission to bring all stakeholders under one umbrella.

Special Economic Zones

100. The Government is committed to revive the Special Economic Zones (SEZs) and make them effective instruments of industrial production, economic growth, export promotion and employment generation. For achieving this, effective steps would be undertaken to operationalize the Special Economic Zones, to revive the investors' interest to develop better infrastructure and to effectively and efficiently use the available unutilized land.

Apprenticeship

101. Comparing the size of the Indian economy, the performance of the Apprenticeship Training Scheme is not satisfactory and a large number of training facilities in the industry are unutilized. Apprenticeship Act will be suitably amended to make it more responsive to industry and youth. We will also encourage MSMEs to avail of the benefits of this scheme.

Micro, Small and Medium Enterprises sector

102. SMEs form the backbone of our Economy. They account for a large portion of our industrial output and employment. The bulk of service sector enterprises are also SMEs. Most of these SMEs are Own Account Enterprises. Most importantly a

majority of these enterprises are owned or run by SCs, STs and OBCs. Financing to this sector is of critical importance, particularly as it benefits the weakest sections. There is need to examine the financial architecture for this sector. I propose to appoint a committee with representatives from the Finance Ministry, Ministry of MSME, RBI to give concrete suggestions in three months.

103. Promotion of entrepreneurship and start-up Companies remains a challenge. While there have been some efforts to encourage, one principal limitation has been availability of start-up capital by way of equity to be brought in by the promoters. In order to create a conducive eco-system for the venture capital in the MSME sector it is proposed to establish a ₹ 10,000 crore fund to act as a catalyst to attract private Capital by way of providing equity, quasi equity, soft loans and other risk capital for start-up companies.

104. To establish technology centre network to promote innovation, entrepreneurship and agro-industry, I propose to set up a fund with a corpus of ₹ 200 crore.

105. The definition of MSME will be reviewed to provide for a higher capital ceiling. A programme to facilitate forward and backward linkages with multiple value chain of manufacturing and service delivery will also be put in place.

106. Entrepreneur friendly legal bankruptcy framework will also be developed for SMEs to enable easy exit. A nationwide “District level Incubation and Accelerator Programme” would be taken up for incubation of new ideas and providing necessary support for accelerating entrepreneurship.

Textiles

107. I propose to set up a Trade Facilitation Centre and a Crafts Museum with an outlay of ₹ 50 crore to develop and promote handloom products and carry forward the rich tradition of handlooms of Varanasi, where I also intend to support a Textile mega-cluster. I also propose to set up six more Textile mega-clusters at Bareilly, Lucknow, Surat, Kuttch, Bhagalpur, Mysore and one in Tamil Nadu. I am allocating a sum of ₹ 200 crore for this purpose.

108. I also propose to set up a Hastkala Academy for the preservation, revival, and documentation of the handloom/handicraft sector in PPP mode in Delhi. I have set aside a sum of ₹ 30 crore for this purpose.

109. I propose to start a Pashmina Promotion Programme (P-3) and a programme for the

development of other crafts of Jammu & Kashmir. I am setting aside a sum of ₹ 50 crore for this purpose.

V. INFRASTRUCTURE

110. India has emerged as the largest PPP market in the world with over 900 projects in various stages of development. PPPs have delivered some of the iconic infrastructure like airports, ports and highways which are seen as models for development globally. But we have also seen the weaknesses of the PPP framework, the rigidities in contractual arrangements, the need to develop more nuanced and sophisticated models of contracting and develop quick dispute redressal mechanism. An institution to provide support to mainstreaming PPPs called 3P India will be set up with a corpus of ₹ 500 crores.

Shipping

111. A policy for encouraging the growth of Indian controlled tonnage will be formulated to ensure increase in employment of the Indian seafarers. Development of ports is also critical for boosting trade. Sixteen new port projects are proposed to be awarded this year with a focus on port connectivity. ₹ 11,635 crore will be allocated for the development of Outer Harbour Project in Tuticorin for phase I. SEZs will also be developed in Kandla and JNPT. A comprehensive policy will also be announced to promote Indian ship building industry in the current financial year.

Inland Navigation

112. Development of inland waterways can improve vastly the capacity for the transportation of goods. A project on the river Ganga called ‘Jal Marg Vikas’ (National Waterways-I) will be developed between Allahabad and Haldia to cover a distance of 1620 kms, which will enable commercial navigation of at least 1500 tonne vessels. The project will be completed over a period of six years at an estimated cost of ₹ 4,200 crore.

New Airports

113. Despite increase in air connectivity air travel is still out of reach of a large number of aspirational Indians. Scheme for development of new airports in Tier I and Tier II will be launched for implementation through Airport Authority of India or PPPs.

Roads sector

114. Roads sector constitutes a very import artery of communication in the country. The sector had taken shape from 1998-2004 under NDA-I. The sector

again needs huge amount of investment along with debottlenecking from maze of clearances. I propose investment in National Highways Authority of India and State Roads of an amount of ₹ 37,880 crores, which includes ₹ 3,000 crores for the North East. During CFY a target of NH construction of 8500 km will be achieved.

115. A modern nation needs multiple sources of transport. A country of the size of India must have a transport network which can ensure faster travel across cities which are geographically distant. This will also improve the supply chain in transporting goods across cities. We will initiate work on select expressways in parallel to the development of the Industrial Corridors. For project preparation NHAI shall set aside a sum of ₹ 500 crore.

Power

116. To promote cleaner and more efficient thermal power, I propose to allocate an initial sum of ₹ 100 crore for preparatory work for a new scheme “Ultra-Modern Super Critical Coal Based Thermal Power Technology.”

Coal

117. Comprehensive measures for enhancing domestic coal production are being put in place along with stringent mechanism for quality control and environmental protection, which includes supply of crushed coal and setting up of washeries. The existing impasse in the coal sector will be resolved and adequate quantity of coal will be provided to power plants which are already commissioned or would be commissioned by March 2015, to unlock dead investments. An exercise to rationalize coal linkages which will optimize transport of coal and reduce cost of power is underway.

New & Renewable Energy

118. New and Renewable energy deserves a very high priority. It is proposed to take up Ultra Mega Solar Power Projects in Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu, and Laddakh in J&K. I have set aside a sum of ₹ 500 crores for this. We are launching a scheme for solar power driven agricultural pump sets and water pumping stations for energizing one lakh pumps. I propose to allocate a sum of ₹ 400 crores for this purpose. An additional ₹ 100 crore is set aside for the development of 1 MW Solar Parks on the banks of canals. Implementation of the Green Energy Corridor Project will be accelerated in this financial year to facilitate evacuation of renewable energy across the country.

Petroleum & Natural Gas

119. It is my Government’s intention to accelerate production and exploitation of Coal Bed Methane reserves. The possibility of using modern technology to revive old or closed wells will also be explored to maximize production from such fields.

120. The usage of PNG will be rapidly scaled up in a Mission mode as it is “clean” and efficient to deliver.

121. We have at present about 15,000 km of gas pipeline systems in the country. In order to complete the gas grid across the country, an additional 15,000 km of pipelines are required. It is proposed to develop these pipelines using appropriate PPP models. This will help increase the usage of gas, domestic as well as imported, which, in the long-term will be beneficial in reducing dependence on any one energy sources.

Mining

122. It is my Government’s intention to encourage investment in mining sector and promote sustainable mining practices to adequately meet the requirements of industry without sacrificing environmental concerns. The current impasse in mining sector, including, iron ore mining, will be resolved expeditiously. Changes, if necessary, in the MMDR Act, 1957 would be introduced to facilitate this.

Revision of Royalty Rate

123. There have been requests from several State Governments to revise rate of Royalty on minerals. Hon’ble Members are aware that rate of Royalty can be revised after a period of three years. Last revision took place in August, 2009. Therefore, another revision, which is due, will be undertaken to ensure greater revenue to the State Governments.

VI. FINANCIAL SECTOR

Capital Market

124. Financial sector is at the heart of the growth engine. Globalization helps channelize external savings to India to bridge the resource gap but also renders the financial sector vulnerable to the vagaries of the global economy. We have seen this in the recent past in ample measure. It is essential to strengthen and modernize the legislative regulatory framework. There are some important recommendations of the Financial Sector Legislative Reforms Commission like the enactment of the Indian Financial Code which is considered necessary for better governance and accountability. It will be my endeavor to complete

the ongoing process of consultations with all the stakeholders expeditiously on this. It is also essential to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy. Government will, in close consultation with the RBI, put in place such a framework.

125. While the impact of the above measures will be felt in the medium term, towards the same objective, I propose to:

- i. Advise financial sector regulators to take early steps for a vibrant, deep and liquid corporate bond market and deepen the currency derivatives market by eliminating unnecessary restrictions.
- ii. Extend a liberalized facility of 5% withholding tax to all bonds issued by Indian corporate abroad for all sectors and extend the validity of the scheme to 30.06.2017.
- iii. Liberalize the ADR/GDR regime to allow issuance of depository receipts on all permissible securities.
- iv. Allow international settlement of Indian debt securities.
- v. Completely revamp the Indian Depository Receipt (IDR) and introduce a much more liberal and ambitious Bharat Depository Receipt (BhDR).
- vi. Clarify the tax treatment on income of foreign fund whose fund managers are located in India to resolve a long-standing problem. Details will be presented in Part B.

126. The Indian capital markets have been a source of risk capital for a growing India. I propose to take a number of measures to further energize these markets including:

- i. Introduction of uniform KYC norms and inter-usability of the KYC records across the entire financial sector.
- ii. Introduce one single operating demat account so that Indian financial sector consumers can access and transact all financial assets through this one account.

127. As part of strengthening the regulatory framework for commodity markets, the Warehouse Development and Regulatory Authority (WD&RA) has begun a transformation plan to invigorate the warehousing sector and significantly improve post-

harvest lending to farmers against negotiable warehouse receipts. This plan will be implemented with vigor.

128. There is an urgent need to converge the current Indian accounting standards with the International Financial Reporting Standards (IFRS). I propose for adoption of the new Indian Accounting Standards (Ind AS) by the Indian companies from the financial year 2015-16 voluntarily and from the financial year 2016-17 on a mandatory basis. Based on the international consensus, the regulators will separately notify the date of implementation of AS Ind for the Banks, Insurance companies etc. Standards for the computation of tax would be notified separately.

Banking

129. There have been some suggestions for consolidation of Public Sector Banks. Government, in principle, agrees to consider these suggestions.

130. To provide all households in the country with banking services, a time bound programme would be launched as Financial Inclusion Mission on 15 August this year. It would particularly focus to empower the weaker sections of the society, including women, small and marginal farmers and labourers. Two bank accounts in each household are proposed to be opened which will also be eligible for credit.

131. Long term financing for infrastructure has been a major constraint in encouraging larger private sector participation in this sector. On the asset side, banks will be encouraged to extend long term loans to infrastructure sector with flexible structuring to absorb potential adverse contingencies, sometimes known as the 5/25 structure. On the liability side, banks will be permitted to raise long term funds for lending to infrastructure sector with minimum regulatory pre-emption such as CRR, SLR and Priority Sector Lending (PSL).

132. After making suitable changes to current framework, a structure will be put in place for continuous authorization of universal banks in the private sector in the current financial year. RBI will create a framework for licensing small banks and other differentiated banks. Differentiated banks serving niche interests, local area banks, payment banks etc. are contemplated to meet credit and remittance needs of small businesses, unorganized sector, low income households, farmers and migrant work force.

133. The rising Non Performing Assets of Public Sector Banks is a matter of concern for the

Government. Six new Debt Recovery Tribunals would be set up at Chandigarh, Bengaluru, Ernakulum, Dehradun, Siliguri and Hyderabad. Government will work out effective means for revival of other stressed assets.

Insurance Sector

134. Benefits of insurance in India have not reached a large section of the people and insurance penetration and density are very low. The Government would work towards addressing this situation in multi-pronged manner with the support of all stake holders concerned. This would include suitable incentives, using banking correspondents, strengthening micro-offices opened by public sector insurance. It is also proposed to take up the pending insurance laws (amendment) Bill for consideration of the Parliament.

135. As part of the legislative initiatives under financial sector reforms, it is proposed to bridge the regulatory gap under the Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act, 1978. This step is expected to facilitate effective regulation of companies and entities which have duped a large number of poor and vulnerable people in this country.

Small Savings

136. To address the concerns of decline in savings rate and improving returns for small savers, I propose to revitalize small savings.

137. My Government attaches utmost importance to the welfare of Girl Child. A special small savings instrument to cater to the requirements of educating and marriage of the Girl Child will be introduced. A National Savings Certificate with insurance cover will also be launched to provide additional benefits for the small saver.

138. In the PPF Scheme, annual ceiling will be enhanced to ₹ 1.5 lakh p.a. from ₹ 1 lakh at present.

VII. DEFENCE & INTERNAL SECURITY

139. There can be no compromise with the defence of our country. I therefore propose to allocate an amount of ₹ 2,29,000 crore for the current financial year for Defence.

One Rank One Pension

140. We reaffirm our commitment to our brave soldiers. A policy of “One Rank One Pension” has been adopted by the Government to address the pension disparities. We propose to set aside a further sum of ₹ 1,000 crore to meet this year’s requirement.

Modernization

141. Modernization of the armed forces is critical to enable them to play their role effectively in the Defence of India’s strategic interests. I, therefore, propose to increase the capital outlay for Defence by ₹ 5,000 crore over the amount provided for in the interim Budget. This includes a sum of ₹ 1,000 crore for accelerating the development of the Railway system in the border areas. Urgent steps would also be taken to streamline the procurement process to make it speedy and more efficient.

War Memorial

142. The country is deeply indebted to the officers and the jawans of the armed forces for having made huge sacrifices to defend its honour. In doing so a very large number of them gave up their lives. It is a privilege for the nation to erect a befitting memorial in their memory. I am happy to announce that a War Memorial will be constructed in the Princes Park. It will be supplemented by a War Museum. I am allocating a sum of ₹ 100 crore for this purpose.

The Defence Production

143. In the year 2011 a separate fund was announced to provide necessary resources to public and private sector companies, including SMEs, as well as academic and scientific institutions to support research and development of Defence systems that enhance cutting-edge technology capability in the country. However, beyond the announcement, no action was taken. Therefore, I propose to set aside an initial sum of ₹ 100 crore to set up a Technology Development Fund to support this objective.

Internal Security

144. The scheme for modernization of state police forces would be reviewed. I propose to enhance the allocation from a sum of ₹ 1,847 crore in the BE of 2013-14 to ₹ 3,000 crore in the current financial year. I am also allocating adequate funds for carrying out small but much needed developmental activities as Additional Central Assistance for Left Wing Extremist Affected districts.

145. In order to strengthen and modernize border infrastructure, a sum of ₹ 2,250 crore has been set aside. In addition, a sum of ₹ 990 crore has been allocated for the socio economic development of the villages along the borders. A sum of ₹ 150 crore has also been ear-marked for the construction of Marine Police Station, Jetties, for the purchase of boats etc.

National Police Memorial

146. The nation is equally indebted to the officers and the jawans of the Police forces, including the central armed police forces, who are constantly engaging with the enemy within and in the process sacrificing their lives in the line of duty. I announce the construction of a befitting National Police Memorial. I propose to set aside a sum of ₹ 50 crores for this purpose in the current financial year.

VIII. CULTURE & TOURISM

147. India's rich cultural, historical, religious and natural heritage provides a huge potential for the development of tourism and job creation as an Industry. I propose to create 5 tourist circuits around specific themes and set aside a sum of ₹ 500 crore for this purpose.

148. National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) shall be launched in this financial year. A sum of ₹ 100 crore is being set aside for this purpose.

149. National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) will also be launched for conserving and preserving the heritage characters of these cities. To begin with I propose to launch this programme in the cities such as Mathura, Amritsar, Gaya, Kanchipuram, Vellankani and Ajmer. I propose to set aside a sum of ₹ 200 crore for this purpose. The Project will work through a partnership of Government, academic institutions and local community combining affordable technologies.

150. Archeological sites preservation requires urgent attention lest our ancient heritage is lost to all future generations. For this purpose, I intend to set aside a sum of ₹ 100 crore.

151. Sarnath-Gaya-Varanasi Buddhist circuit would also be developed with world class tourist amenities to attract tourists from all over the world.

152. Goa has emerged as a major international convention centre. It has also been declared as the permanent venue for International Film Festival of India. There is an urgent need to develop world class convention facilities. This can best be done in close collaboration with the private sector. Government of India will fully support this initiative to develop the facilities in PPP mode through the VGF scheme.

Water Resources and cleaning of Ganga

Linking of Rivers

153. Rivers form the lifeline of our country. They provide water not only for producing food for the

multitudes but also drinking water. Unfortunately the country is not uniformly blessed with perennial rivers. Therefore, an effort to link the rivers can give rich dividends to the country. It is time that we made a serious effort to move in this direction. To expedite the preparation of the Detailed Project Reports, I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore.

Sacred Rivers

154. Substantial amount of money has been spent in the conservation and improvement of the Ganga, which has a very special sacred place in the collective consciousness of this country. However, the efforts have not yielded desired results because of the lack of concerted effort by all the stakeholders. I propose to set up Integrated Ganga Conservation Mission called "Namami Gange" and set aside a sum of ₹ 2,037 crores for this purpose.

Development of Ghats and beautification of Riverfront

155. Our Riverfronts and Ghats are not only places of rich historical heritage but many of these are also sacred. To start this process in the country, I propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for Ghat development and beautification of river front at Kedarnath, Haridwar, Kanpur, Varanasi, Allahabad, Patna and Delhi in the current financial year.

NRI Ganga Fund

156. NRIs have been a very important contributor to the development process in India, in areas such as education, health and preservation of culture. In this context, to harness their enthusiasm to contribute towards the conservation of the river Ganga, NRI Fund for Ganga will be set up which will finance special projects.

Science and Technology

Technology Research Centres

157. The Department of Science & Technology has some of country's leading research centres in the areas such as nanotechnology, materials science and bio-medical device technology. The government will strengthen at least five such institutions as Technical Research Centres to make them more effective in the innovation space through Public Private Partnerships.

Stimulating Investment In Biotechnology

158. The development of biotech clusters in Faridabad and Bengaluru will be scaled up and taken to the highest international quality. This effort will include global partnerships in accessing model-

organism resources for disease biology, stem cell biology and for high-end electron microscopy.

159. The nascent agri-biotech cluster in Mohali will be scaled up to include plant-genetic and phenotype platforms. Secondary agriculture will be a major thrust in Mohali through collaborations in the public and private sector. In addition, two new clusters, in Pune and Kolkata will be established.

160. Global partnerships will be developed under India's leadership to transform the Delhi component of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) into a world-leader in life sciences and biotechnology.

Indian Space Programme

161. Several major space missions are planned for 2014-15 which include the experimental flight of India's future heavy capacity launcher GSLV Mk-III, one commercial launch of PSLV and two more navigational satellites.

162. Our Mars Orbiter spacecraft is in its 300 days long voyage to Planet Mars along the designated helio-centric trajectory. Mars Orbiter Spacecraft is expected to be orbiting around Mars on September 24, 2014.

Sports and Youth Affairs

Sports

163. Sports are an integral part of growing up and personality development. Unfortunately, in our country, sports have not been main-streamed to date. Government will set up national level Sports Academies for major games in different parts of the country to mainstream sports. Academies with international level facilities for training of accomplished athletes and for nurturing best talent in the country at junior and sub-junior level will also be set up for Shooting, Archery, Boxing, Wrestling, Weightlifting and various Track and field events.

164. Jammu & Kashmir has a lot of sporting talent which is not finding expression due to inadequate sports facilities. I propose to provide a sum of ₹ 200 crore for upgrading the indoor and outdoor sports stadiums to international standards in Jammu and in Kashmir Valley.

165. I also propose to set up a sports university in Manipur. For this I am providing a sum of ₹ 100 crore in the current financial year.

166. Unique sports traditions have developed in the Himalayan region in the countries and the states that are a part of it. To promote these, India will start

an annual event to promote these games and would invite countries such as Nepal and Bhutan also to participate in addition to the Indian states such as J&K, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim and the North Eastern States.

167. I also propose to set aside a sum of ₹ 100 crore for the training of our sports women and men for the forthcoming Asian and Commonwealth games.

Youth

168. Employment exchanges will be transformed into career centres and in addition for providing information about job availability. These centers will also extend counseling facilities to the youth for selecting the jobs best suited to their ability and aptitude. I have set aside a sum of ₹ 100 crore for this purpose.

169. Youth of India are pragmatic and forward looking and wish to be leaders in all fields. In order to promote leadership skills, I propose to set up "A Young Leaders Programme" with an initial allocation of ₹ 100 crore.

IX. OTHER PROPOSALS

Displaced Kashmiri Migrants

170. Displaced Kashmiri migrants require our special support for rehabilitation. For this, I intend to provide a sum of ₹ 500 crore in the current financial year.

Conservation of Himalayas

171. There is a great need to increase the capacity in the country for Himalayan Studies. I propose to set up a National Centre for Himalayan Studies in Uttarakhand with an initial outlay of ₹ 100 crore.

Academy for Customs

172. It is proposed to set up the National Academy for Customs & Excise at Hindupur in Andhra Pradesh.

North Eastern States

Organic Food

173. North Eastern Region of India has tremendous potential for development of organic farming. With a growing global demand for organic food, people living in the NE states can reap rich harvest from development of commercial organic farming. To facilitate this, I propose to provide a sum of ₹ 100 crore for this purpose in the current financial year.

North East Railway Connectivity

174. North Eastern Region has suffered from under development and a sense of isolation due to lack of proper connectivity. Development of rail system is urgently required to bridge this gap. I intend to expedite the development of rail connectivity in the region and for this purpose I propose to set aside an additional sum of ₹ 1,000 crore over and above the amount provided for in the interim Budget.

24x7 Channel for the North East

175. TV is a very powerful tool for the expression of cultural identities and for creating greater awareness of the richness of the diversity of our country. To provide a strong platform to rich cultural and linguistic identity of the North-East, a new 24x7 channel called "Arun Prabha" will be launched.

Andhra Pradesh and Telangana

176. My Government is committed to addressing the issues relating to development of Andhra Pradesh and Telangana in the AP Re-organization Act, 2014. Provision has been made by various Ministries/ Departments to fulfill the obligation of Union Government for both the States.

National Capital Territory of Delhi

177. NCT of Delhi faces large in-migration every year. Delhi is plagued by frequent transmission related problems and issues of water distribution and supply. In order to overcome this and make Delhi a world class city, I propose to provide ₹ 200 crore for power reforms and ₹ 500 crore for water reforms.

178. In addition, to solve the long term water supply issues to the capital region, construction of long pending Renuka Dam would be taken up on priority. I have provided an initial sum of ₹ 50 crore for this.

Andaman and Nicobar Island and Puducherry

179. Andaman and Nicobar Island are part of our rich cultural heritage. In order to tide over communication related problems of the Island, I propose to allot a sum of ₹ 150 crore.

180. Similarly, I propose to provide ₹ 188 crore to Puducherry for meeting commitments for Disaster preparedness.

X. BUDGET ESTIMATES

181. I now turn to the Budget estimates for Main Budget 2014-15. We have inherited a legacy, wherein,

continuance of fiscal consolidation cannot be compromised while providing for the essential items. However, we have mandate to fulfill for the people. Keeping this in mind we have prepared the estimates of expenditure and receipts for Financial Year 2014-15.

182. Non-Plan expenditure estimates for the Financial Year are ₹ 12,19,892 crore. While preparing Non-Plan estimates due care has been taken to fully provide for all the essential activities. Additional amounts have been provided for fertilizer subsidy and capital expenditure of Armed Forces.

183. While preparing estimates of plan expenditure, attention was paid to the absorptive capacity of the Department and on achieving greater outcome with the same financial outlay. In 2013-14, plan funds to the tune of ₹ 4,53,085 crore could be utilised. Plan allocation of ₹ 5,75,000 crore in the Main Budget 2014-15 mark an increase of 26.9% over actuals for 2013-14 and have been targeted towards Agriculture, capacity creation in Health and Education, Rural Roads and National Highways Infrastructure, Railways network expansion, clean energy initiatives, development of water resources and river conservation plans. Further thorough convergence of programmes greater impact from the money spent will be achieved.

184. Total expenditure estimates thus stands at ₹ 17,94,892 crore.

185. To finance this expenditure, it is estimated that Gross Tax receipts will be ₹ 13,64,524 crore. After devolving the share of states, share of centre will be ₹ 9,77,258 crore. Non Tax Revenues for the current Financial Year will be ₹ 2,12,505 crore and capital receipts other than borrowings will be ₹ 73,952 crore.

186. With the above estimates, fiscal deficit will be 4.1% of GDP and Revenue deficit will be 2.9 per cent of GDP.

187. Hon'ble Members will recall that it was the initiative of the previous NDA Government under Shri Atal Bihari Vajpayee, which had made compulsory 10% allocation of plan funds for North Eastern Region and had made them Non-lapsable in nature. From the current Budget, we have introduced a Statement which will separately show plan allocation made for North Eastern Region. In Financial Year 2014-15, an allocation of ₹ 53,706 crore has been made for North Eastern Region. We have further made an allocation of ₹ 98,030 crore for women and ₹ 81,075 crore for child welfare.

PART B**XI. TAX PROPOSALS**

188. Madam Speaker, I shall now present my tax proposals.

189. Taxes are important for every economy to fund Government expenditure on security and welfare of its people. In the interim Budget 2014-15, my predecessor had set revenue collection targets for direct taxes as well as indirect taxes, which appear to be ambitious. I propose to retain these targets and it shall be my endeavour to achieve the same. The impact of the tax changes now proposed have of course been factored into the Budget Estimates, 2014-15.

190. While preparing the tax proposals, I had to encounter the challenge of an extremely limited fiscal space. Nonetheless, I propose to introduce measures to revive the economy, promote investment in manufacturing sector and rationalize tax provisions so as to reduce litigation as well as to address the problem of inverted duty structure in certain areas. I also propose to give relief to individual taxpayers and to certain sectors of the economy.

Direct Taxes

191. Let me begin with direct taxes.

192. Madam Speaker, I do not propose to make any change in the tax rate. However, with a view to provide relief to small and marginal taxpayers and senior citizens, I propose to increase personal income tax exemption limit by ₹50,000 that is, from ₹ 2 lakh to ₹ 2.5 lakh in the case of individual taxpayers who are below the age of 60 years. Similarly, I also propose to raise the exemption limit from ₹ 2.5 lakh to ₹ 3 lakh in the case of senior citizens.

193. I do not propose to make any change in the rate of surcharge either for the corporates or the individuals, HUFs, firms etc.

194. The education cess for all taxpayers shall continue at 3 percent.

195. In the year 2012-13 the gross domestic savings were 30.1% of the GDP as compared to 33.7% in the year 2009-10. Increase in savings and their productive use leads to higher economic growth. The households are the main contributors to savings. Therefore, to encourage domestic investment in long term savings, I propose to increase the investment limit under section 80C of the Income-tax Act from ₹ 1 lakh to ₹ 1.5 lakh.

196. Housing continues to be an area of concern for middle and lower middle class due to high cost of financing. Therefore, to reduce this burden, I propose to increase the deduction limit on account of interest on loan in respect of self occupied house property from ₹ 1.5 lakh to ₹ 2 lakh.

197. Infrastructure and construction sectors have a significant role in the economy. Growth in these sectors is necessary to revive the economy and generate jobs for millions of our young boys and girls. As stated earlier and with a view to attract large scale investment in these sectors, I have provided a conducive tax regime for Infrastructure Investment Trusts and Real Estate Investment Trusts to be set up in accordance with regulations of the Securities and Exchange Board of India.

198. The manufacturing sector is of paramount importance for the growth of our economy. This sector has multiplier effect on creation of jobs. Last year, an incentive in the form of investment allowance to a manufacturing company that invests more than ₹ 100 crore in plant and machinery during the period from 01.04.2013 to 31.03.2015 was announced. Considering the need to incentivize smaller entrepreneurs, I propose to provide investment allowance at the rate of 15 percent to a manufacturing company that invests more than ₹ 25 crore in any year in new plant and machinery. This benefit will be available for three years i.e. for investments upto 31.03.2017. The Scheme announced last year will continue to operate in parallel till 31.03.2015.

199. I also propose to extend the investment linked deduction to two new sectors, namely, slurry pipelines for the transportation of iron ore, and semi-conductor wafer fabrication manufacturing units. This will boost investment in these two critical sectors.

200. Supply of power continues to be a major area of concern for the country. Therefore, instead of annual extensions, I propose to extend the 10 year tax holiday to the undertakings which begin generation, distribution and transmission of power by 31.03.2017. This stability in our policy will help the investors to plan their investments better.

201. Foreign Portfolio Investors (FPIs) have invested more than ₹ 8 lakh crore (about 130 billion US \$) in India. One of their concerns is uncertainty in taxation on account of characterization of their income. Moreover, the fund managers of these foreign investors remain outside India under the apprehension that their presence in India may have adverse tax consequences. With a view to put an end to this uncertainty and to encourage these fund managers to shift to India, I propose to provide that income arising to foreign portfolio investors from transaction in securities will be treated as capital gains.

202. The concessional rate of tax at 15 percent on dividends received by Indian companies from their foreign subsidiaries has resulted in enhanced repatriation of funds from abroad. I propose to continue with this concessional rate of 15 percent on foreign dividends without any sunset date. This will ensure stability of taxation policy.

203. In order to augment low cost long term foreign borrowings for Indian companies, I propose to extend the eligible date of borrowing in foreign currency from 30.06.2016 to 30.06.2017 for a concessional tax rate of 5 percent on interest payments. I also propose to extend this tax incentive to all types of bonds instead of only infrastructure bonds. I hope this measure will enable the companies to step up their investments in India.

204. In order to reduce litigation on transfer pricing issues, I propose to make certain changes in Transfer Pricing regulations.

- (1) An Advance Pricing Agreement (APA) scheme was introduced in the year 2012. It has received good response. I propose to strengthen the administrative set up of APA to expedite disposal of applications. Further, I propose to introduce a “Roll Back” provision in the APA scheme so that an APA entered into for future transactions may also be applied to international transactions undertaken in previous four years in specified circumstances.
- (2) In order to align Transfer Pricing regulations in India with the best available practices, I propose to introduce range concept for determination of arm’s length price. However, the arithmetic mean concept will continue to apply where number of comparable is inadequate. The relevant data is under analysis and appropriate rules will be prescribed.
- (3) As per existing provisions of Transfer Pricing Regulations, only one year data is allowed to be used for comparable analysis with some exception. I propose to amend the regulations to allow use of multiple year data.

Necessary legislative amendments to give effect to the above proposals including those relating to the Authority for Advance Rulings and Income-tax Settlement Commission will be moved in the current session of the Parliament.

205. In the case of Mutual Funds, other than equity oriented funds, the capital gains arising on transfer of units held for more than a year is taxed at a concessional rate of 10% whereas direct investments in banks and other debt instruments attract a higher rate of tax. This allows tax arbitrage opportunity. This arbitrage has hardly benefitted retail investors as their percentage is very small among such Mutual Fund investors. With a view to remove this tax arbitrage, I propose to increase the rate of tax on

long term capital gains from 10 percent to 20 percent on transfer of units of such funds. I also propose to increase the period of holding in respect of such units from 12 months to 36 months for this purpose.

206. In the year 2003, the tax liability on income by way of dividends was shifted from the shareholder to the company. The shareholder was required to pay tax on the gross dividends, but now the company pays tax on the dividend amount net of taxes. Similarly, in the case of Mutual Fund, income distribution tax is paid on the income distributed net of taxes. I propose to remove this anomaly both in the case of the company and the Mutual Fund.

207. Currently, where an assessee fails to deduct and pay tax on specified payments to residents, 100 percent of such payments are not allowed as deduction while computing his income. This has caused undue hardship to taxpayers, particularly where the rate of tax is only 1 to 10%. Hence, I propose to provide that instead of 100 percent, only 30% of such payments will be disallowed.

208. The Direct Taxes Code Bill, 2010 has lapsed with the dissolution of the 15th Lok Sabha. Having considered the report of the Standing Committee on Finance and the views expressed by the stakeholders, my predecessor had placed a revised Code in the public domain in March, 2014. The Government shall consider the comments received from the stakeholders on the revised Code. The Government will also review the DTC in its present shape and take a view in the whole matter.

209. Income-tax Department is expected to function not only as an enforcement agency but also as a facilitator. A number of Aykar Seva Kendras (ASK) have been opened in different parts of the country. I propose to extend this facility by opening 60 more such Seva Kendras during the current financial year to promote excellence in service delivery.

210. The focus of any tax administration is to broaden the tax base. Our policy thrust is to adopt non intrusive methods to achieve this objective. In this direction, I propose to make greater use of information technology techniques.

211. Net Effect of the direct tax proposals is revenue loss of ₹ 22,200 crore.

Indirect Taxes

212. I now turn to indirect taxes and shall begin with customs duties.

213. Manufacturing sector is under stress due to a variety of reasons. To boost domestic manufacture as also to address the issue of inverted duties, I propose to reduce the basic customs duty (BCD) on :

- Fatty acids, crude palm stearin, RBD and other palm stearin, specified industrial grade

crude oils from 7.5 percent to Nil for manufacture of soaps and oleo-chemicals;

- Crude glycerin from 12.5 percent to 7.5 percent and crude glycerin used in the manufacture of soaps from 12.5 percent to Nil;
- Steel grade limestone and steel grade dolomite from 5 percent to 2.5 percent;
- Battery waste and battery scrap from 10 percent to 5 percent;
- Coal tar pitch from 10 percent to 5 percent;
- Specified inputs for manufacture of spandex yarn from 5 percent to Nil.

214. In order to encourage new investment and capacity addition in the chemicals and petrochemicals sector, I propose to reduce the basic customs duty on reformate from 10 percent to 2.5 percent; on ethane, propane, ethylene, propylene, butadiene and ortho-xylene from 5 percent to 2.5 percent; on methyl alcohol and denatured ethyl alcohol from 7.5 percent to 5 percent; and on crude naphthalene from 10 percent to 5 percent.

215. The demand for electronics is growing very fast. To boost domestic production and reduce our dependence on imports, I intend to take the following steps:

- Impose basic customs duty at 10 percent on specified telecommunication products that are outside the purview of the Information Technology Agreement;
- Exempt all inputs/components used in the manufacture of personal computers from 4 percent special additional duty (SAD);
- Impose education cess on imported electronic products to provide parity between domestically produced goods and imported goods;
- Exempt 4 percent SAD on PVC sheet and ribbon used for the manufacture of smart cards.

216. Cathode ray TVs are used by weaker sections who cannot afford to buy more expensive flat panel TVs. I propose to exempt colour picture tubes from basic customs duty to make cathode ray TVs cheaper. The duty concession will help revive manufacturing of TVs in the SME sector and create employment opportunities. At the same time, to encourage production of LCD and LED TVs below 19 inches in India, I propose to reduce the basic customs duty on LCD and LED TV panels of below 19

inches from 10 percent to Nil. Further, to encourage manufacture of LCD and LED TV panels, I propose to exempt from basic customs duty specified inputs used in their manufacture.

217. The domestic stainless steel industry is presently suffering from severe under-utilization of capacity. To give an impetus to the stainless steel industry, I propose to increase the basic customs duty on imported flat-rolled products of stainless steel from 5 percent to 7.5 percent.

218. We need to maximize our utilization of solar power. The existing duty structure incentivizes imports rather than domestic manufacture of solar photovoltaic cells and modules. Therefore, I propose to exempt from basic customs duty:

- specified inputs for use in the manufacture of EVA sheets and back sheets;
- flat copper wire for the manufacture of PV ribbons.

A concessional basic customs duty of 5 percent is also being extended to machinery and equipment required for setting up of a project for solar energy production.

219. To promote wind energy, I propose to reduce the basic customs duty from 10 percent to 5 percent on forged steel rings used in the manufacture of bearings of wind operated electricity generators. Also, I propose to exempt the SAD of 4 percent on parts and raw materials required for the manufacture of wind operated generators. Further, I propose to prescribe a concessional basic customs duty of 5 percent on machinery and equipment required for setting up of compressed biogas plants (Bio-CNG).

220. I have only highlighted some of the proposals in the Budget 2014-15. I am sure these measures would incentivize value addition, generate income and create more jobs in India.

221. I have also undertaken several tax rationalization measures. At present, coal attracts customs duties at different rates. I propose to rationalize the duty structure on all non-agglomerated coal at 2.5 percent basic customs duty and 2 percent CVD. Henceforth, anthracite coal, bituminous coal, coking coal, steam coal and other coal will attract the same duty. This will eliminate all assessment disputes and transaction costs associated with testing of various parameters of coal.

222. Metallurgical coke is manufactured out of coking coal. The basic customs duty on metallurgical coke is being increased from Nil to 2.5 percent in line with the duty on coking coal.

223. Ships imported for breaking up attract basic customs duty at 5 percent. As against this, melting scrap of iron or steel attracts basic customs duty at 2.5 percent. I propose to rationalize the duty on ship breaking scrap and melting scrap of iron or steel by reducing the basic customs duty on ships imported for breaking up from 5 percent to 2.5 percent.

224. Semi-processed, half cut or broken diamonds are presently exempt from basic customs duty. As against this, cut and polished diamonds and coloured gemstones attract basic customs duty of 2 percent. To prevent misuse and avoid assessment disputes, the basic customs duty on semi-processed, half cut or broken diamonds, cut and polished diamonds and coloured gemstones is being rationalized at 2.5 percent. To encourage exports, pre-forms of precious and semi-precious stones are being fully exempted from basic customs duty.

225. To encourage exports of readymade garments I propose to increase the duty free entitlement for import of trimmings, embellishments and other specified items from 3 percent to 5 percent of the value of their exports.

226. Considering the need to conserve our natural resources, I propose to increase the export duty on bauxite from 10 percent to 20 percent.

227. The free baggage allowance under the baggage rules was last revised in 2012. As a measure of passenger facilitation, I propose to increase the free baggage allowance from ₹ 35,000 to ₹ 45,000.

228. I shall now deal with excise duties.

229. To provide a fillip to the capital goods, consumer durables and automobile sectors, and given our commitment to revive economic growth, I have already extended the excise duty concessions beyond 30th June 2014 for a period of 6 months up to 31st December 2014. We expect the industry to show positive results in the coming months.

230. In continuation, I have a few more proposals to boost domestic production. Minimization of harvest and post harvest losses of agricultural produce is an important measure for tackling food inflation and ensuring food security. The losses in fruits and vegetables are mainly due to lack of adequate processing capacity. To incentivize expansion of processing capacity, I propose to reduce the excise duty on specified food processing and packaging machinery from 10 percent to 6 percent.

231. As a measure of relief to the footwear industry, most of which are in SME sector, I propose to reduce the excise duty from 12 percent to 6 percent on footwear of

retail price exceeding ₹ 500 per pair but not exceeding ₹ 1,000 per pair. Footwear of retail price up to ₹ 500 per pair will continue to remain exempted.

232. I propose to withdraw the concessional excise duty (2 percent without Cenvat benefit and 6 percent with Cenvat benefit) on smart cards and levy a uniform excise duty at 12 percent. Consequently, imports will attract higher CVD. This will help domestic industry.

233. To develop renewable sources of energy, I propose to exempt from excise duty:

- EVA sheets and solar back sheets and specified inputs used in their manufacture;
- solar tempered glass used in the manufacture of solar photovoltaic cells and modules;
- flat copper wire for the manufacture of PV ribbons for use in solar cells and modules;
- machinery and equipment required for setting up of a project for solar energy production;
- forged steel rings used in the manufacture of bearings of wind operated generators;
- machinery and equipment required for setting up of compressed biogas plants (Bio-CNG).

234. To set at rest an on-going dispute, I propose to exempt PSF and PFY manufactured from plastic waste and scrap including PET bottles from excise duty with effect from 29th June, 2010 to 7th May, 2012. I also propose to levy prospectively a nominal duty of 2 percent without Cenvat benefit and 6 percent with Cenvat benefit on such PSF and PFY.

235. To encourage sports, I propose to prescribe a concessional excise duty of 2 percent without Cenvat benefit and 6 percent with Cenvat benefit on sports gloves.

236. While undertaking all these measures, I also need to mobilize resources. Accordingly, I propose to increase the specific excise duty on cigarettes in the range of 11 percent to 72 percent. Similar increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos. Likewise, the excise duty is being increased from 12 percent to 16 percent on pan masala, from 50 percent to 55 percent on unmanufactured tobacco and from 60 percent to 70 percent on gutkha and chewing tobacco. I also propose to levy an additional duty of excise at 5 percent on aerated waters containing added sugar. These are healthy measures and I hope

everyone would welcome them from the point of view of human and fiscal health.

237. Clean Energy Cess is presently levied on coal, peat and lignite for the purposes of financing and promoting clean energy initiatives and funding research in the area of clean energy. I propose to expand the scope of purposes of levying the said cess to include financing and promoting clean environment initiatives and funding research in the area of clean environment. To finance these additional initiatives, I propose to increase the Clean Energy Cess from ₹ 50 per tonne to ₹100 per tonne.

238. I shall now deal with service tax.

239. In recent times, among indirect taxes, service tax has shown the highest rate of growth. Since my overall objective is to prepare the indirect tax regime for a smooth transition to Goods and Services Tax, changes have been kept minimal at this stage. The twin objectives in this sector of indirect taxes are to widen the tax base and enhance compliance. My proposals in relation to Service Tax are in line with these objectives.

240. To broaden the tax base in Service Tax, it is necessary to prune the negative list and exemptions to the extent possible. Accordingly, the negative list has been reviewed and service tax leviable currently, on sale of space or time for advertisements in broadcast media, is being extended to cover such sales on other segments like online and mobile advertising. Sale of space for advertisements in print media however would remain excluded from service tax. Similarly, tax is being proposed on the service provided by radio-taxis to place them on par with rent-a-cab service. These new levies will come into effect from a date to be notified after the passing of the Finance Bill.

241. In furtherance of the effort to broaden the tax base, certain exemptions are being withdrawn, including those extended to services by air-conditioned contract carriages and technical testing of newly developed drugs on human participants.

242. To spur growth in certain sectors, I have tried to correct the bottlenecks which have been brought to my knowledge. Indian shipping industry had been representing that they are losing business in a tough global scenario, due to a provision in the Place of Provision of Services Rules, which is now being addressed through an amendment. Similarly, to encourage growth in the transport of goods through coastal vessels, the tax incidence is being reduced. In response to the request of the tourism sector, services provided by Indian tour operators to foreign tourists in relation to a tour wholly conducted outside India is being taken out of the tax net. A long standing demand of this sector has been to allow Cenvat

credit for services of rent-a-cab and tour operators. I now propose to allow credit in the same line of business.

243. I had to accept a few requests for exemptions from the social sector, since exemption-induced distortion would be comparatively less in such sectors. At the request of the Ministry of Agriculture, service tax on loading, unloading, storage, warehousing and transportation of cotton, whether ginned or baled, is being exempted to bring it on par with certain other agricultural produce. Services provided by the Employees' State Insurance Corporation for the period prior to 1st July 2012 is being exempted.

244. For the benefit of the common man, the exemption presently available for specified micro insurance schemes is being expanded to cover all life micro-insurance schemes where the sum assured does not exceed ₹ 50,000 per life insured. Since taxes should not come in the way of safe disposal of medical and clinical wastes, services provided by common bio-medical waste treatment facilities are being exempted.

245. Certain changes are also proposed for bringing about greater clarity and for reducing litigation regarding the scope of exemptions. These include functions ordinarily entrusted to a municipality and services in relation to education.

246. There are a few more decisions which entail small gains or losses of revenue. Certain amendments are also being proposed in the Customs and Central Excise Acts and in the Finance Act, 1994 relating to service tax. These changes are reflected in the budget documents.

247. My tax proposals on the indirect taxes side are estimated to yield ₹ 7,525 crore.

248. I have some more proposals which are in the nature of facilitating trade and resolving disputes. I shall highlight only a few.

249. Faster clearance of import and export cargo reduces transaction costs and improves business competitiveness. To help achieve these objectives, measures are being initiated to extend the existing 24x7 customs clearance facility to 13 more airports in respect of all export goods and to 14 more sea ports in respect of specified import and export goods.

250. It is also proposed to implement an 'Indian Customs Single Window Project' to facilitate trade. Under this, importers and exporters would lodge their clearance documents at a single point only. Required permissions, if any, from other regulatory agencies would be obtained online without the trader having to approach these agencies. This would reduce interface with Governmental agencies, dwell time and the cost of doing business.

251. The scheme of Advance Ruling in indirect taxes is being expanded to cover resident private limited companies. This will allow these companies to seek advance ruling in respect of new activities being proposed to be undertaken by them. The scope of Settlement Commission is being enlarged to facilitate quick dispute resolution.

252. To expedite the process of disposal of appeals, amendments have been proposed in the Customs and Central Excise Acts with a view to freeing appellate authorities from hearing stay applications and to take up regular appeals for final disposal.

253. Madam Speaker, with these words I commend the Budget to the House.

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy. (Budget)